सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ✦ COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA

सत्यमेव जयते

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2023 का प्रतिवेदन सं. 1

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले
बच्चों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2023 का प्रतिवेदन सं. 1

विषयसूची

अध्याय संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		iii
कार्यकारी सारांश		v
1	परिचय	1
2	एकीकृत बाल संरक्षण योजना का कार्यान्वयन	5
3	बाल कल्याण समितियां की कार्यप्रणाली	15
4	बाल देखभाल संस्थान की कार्यप्रणाली	20
5	निगरानी	37
6	बच्चों का पुनर्वास	44

परिशिष्ट

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ सं.
I	जिला बाल संरक्षण इकाई की संरचना	परिचय	53
II	चयनित बाल देखभाल संस्थानों की सूची	परिचय	54
III	जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन	2.1.1.4	55
IV	चार चयनित जिला बाल संरक्षण इकाई में कर्मचारियों की स्थिति	2.1.1.4	56
V	केंद्र और राज्य के हिस्से का विवरण	2.2.1	57
VI	चयनित बाल देखभाल संस्थानों में कर्मचारियों की कमी	4.2.1	58
VII	वस्त्र और बिस्तर	4.2.4	59
शब्दावली		61	

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

बच्चे समाज में सबसे कमजोर वर्ग हैं क्योंकि उन्हें वयस्कों द्वारा उनकी भलाई और समग्र विकास के लिए देखभाल की आवश्यकता होती है। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे वे हैं जो बेघर, भीख मांगने वाले, सड़क पर रहने वाले, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग, अनाथ, तस्करी किए गए या यौन शोषित, नशीली दवाओं/मादक द्रव्यों के सेवन करने वाले और ऐसे अन्य मामलों वाले बच्चे होते हैं। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2013 में प्रावधान है कि राज्य सरकार बच्चों के अधिकारों और हकों को सुरक्षित करने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाल अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार (भा.स.) ने विभिन्न कानून बनाए। भा.स. ने 2009 में एकीकृत बाल संरक्षण योजना भी शुरू की थी जिसे 2014 में संशोधित किया गया था।

इस रिपोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा ज़रूरतमंद बच्चों की देखभाल और संरक्षण प्रदान करने के लिए किए गए प्रयासों में कई कमियों को इंगित किया है, विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए संस्थानों के निर्माण में विलम्ब और बच्चों के कल्याण के लिए अन्य उपाय जैसे बाल देखभाल संस्थानों को निधि प्रदान करना, बच्चों को गोद लेने के लिए कानूनन मुक्त घोषित करना आदि। बाल देखभाल संस्थानों को कर्मचारियों की कमी, भौतिक बुनियादी ढांचे की कमी और अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का सामना करना पड़ा। सरकार ने माता-पिता को जरूरतमंद बच्चों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने और ऐसे बच्चों के पालक माता-पिता बनने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रायोजन योजना और पालक देखभाल योजना को भी लागू नहीं किया।

कार्यकारी सारांश

बच्चों की भलाई के प्रति सामाजिक महत्व और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के उद्देश्य से की गई थी कि क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अधिकारों और हकों को सुनिश्चित करने के लिए किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015; मॉडल नियम, 2016 और संशोधित एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस), 2014 के अनुसार पर्याप्त उपाय किए हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा में 2018-19 से 2020-2021 तक तीन वर्ष की अवधि सम्मिलित है। लेखापरीक्षा ने महिला एवं बाल विकास विभाग (डीडब्ल्यूसीडी), दिल्ली राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (डीएससीपीएस), राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी (एसएआरए), बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), ज़िला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू) और बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) के अभिलेखों की नमूना जांच की।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

- एकीकृत बाल संरक्षण योजना के माध्यम से ज़रूरतमंद बच्चों की देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रयास अधिकांश क्षेत्रों में कम और धीमे थे। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या का आकलन और पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था, जैसे कि बिना घर वाले, भीख मांगते हुए पाए गए, सड़क पर रहने वाले, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग, अनाथ, तस्करी या यौन शोषित बच्चे आदि। संबंधित डेटा के अभाव में दिल्ली में देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कोई ठोस योजना तैयार नहीं की जा सकी और न ही पर्याप्त संसाधन आवंटित किए जा सके तथा उनके प्रयास केवल उन असुरक्षित बच्चों की देखभाल प्रदान करने तक सीमित थे जो चिंतित नागरिकों, पुलिस, गैर सरकारी संगठनों आदि द्वारा उनके पास लाए गए थे। डीएससीपीएस, जो एकीकृत बाल संरक्षण योजना के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष निकाय है, आवश्यक प्रोत्साहन और नेतृत्व प्रदान करने में विफल रहा क्योंकि इसकी शासी निकाय और कार्यकारी समिति निष्क्रिय थी। एकीकृत बाल संरक्षण

योजना के कार्यान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, बाल कल्याण समितियों और ज़िला बाल संरक्षण इकाइयों जैसे संस्थानों के गठन में देरी हुई।

- 2018-19 से 2020-21 के दौरान, बच्चों की देखभाल गतिविधियों जैसे सर्वेक्षण आयोजित करने, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों को रहने योग्य स्थिति में सुधार आदि को निष्पादित नहीं करने के कारण बजट में अव्ययित शेष देखे गए थे। रा.रा.क्षे.दि.स. एनजीओ द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों को धन प्रदान करने में देरी सहित समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में विफल रहा। रा.रा.क्षे.दि.स. एकीकृत बाल संरक्षण योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुदानों में बढ़े हुए केन्द्रीय हिस्से का लाभ उठाने में भी विफल रहा।
- बाल कल्याण समितियाँ (सीडब्ल्यूसी), जो ज़रूरतमंद बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, उचित पुनर्वास या बहाली सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, ने उनकी देखभाल और सुरक्षा के संबंध में आदेश जारी करने के बाद उनके सामने पेश किए गए बच्चों की प्रगति और पालन सुनिश्चित नहीं किया। बाल कल्याण समितियाँ पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए अपने आदेशों को नामित पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रही थीं। उन्होंने फेशियल रिकॉग्नीशन सिस्टम पर बरामद बच्चों की तस्वीरें भी अपलोड नहीं की ताकि लापता बच्चों के विवरण के साथ मिलान किया जा सके, जो माता-पिता और बच्चों के लिए अलगाव के आघात को कम करने हेतु चिंता की कमी को दर्शाता है।
- बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) बिना पंजीकरण के काम कर रहे थे, दिल्ली राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी द्वारा सीसीआई के पंजीकरण और नवीनीकरण एवं अपंजीकृत सीसीआई के खिलाफ कार्रवाई करने में अनुचित देरी हुई थी, जिससे उन्हें आवश्यकत सुविधाओं के बिना काम करने और बच्चों को अनुपयुक्त परिस्थितियों में दिखाने की इज़ाजत दी गई। सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों में विशेष रूप से परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी, परामर्शदाता और शिक्षकों के महत्वपूर्ण

पदों पर कर्मचारियों की भारी कमी (76 *प्रतिशत* तक) थी, जिससे बच्चों की गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने की उनकी क्षमता से गंभीर रूप से समझौता हुआ। बाल देखभाल संस्थान अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं, अपर्याप्त पोषण, बच्चों को प्रदान किए जाने वाले कपड़े, बिस्तर और प्रसाधन सामग्री, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं और बच्चों को औपचारिक शिक्षा की महत्वपूर्ण कमी से भी ग्रस्त थे क्योंकि केवल 54 *प्रतिशत* औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इसी तरह की कमियां आफ्टर केयर होम्स में भी देखी गईं, जहां उन बच्चों की दो और वर्षों के लिए देखभाल की जाती है, जिन्हें 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सीसीआई छोड़ना पड़ता है ताकि समाज में उनका पुन: एकीकरण हो सके।

- बाल संरक्षण के लिए योजना के कार्यान्वयन की निगरानी में कई प्रकार की कमी थी। ज़िला बाल संरक्षण इकाइयों को बाल संरक्षण गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए गृह अधीक्षकों, गैर सरकारी संगठनों आदि जैसे हितधारकों और स्वास्थ्य, श्रम विभागों और पुलिस के प्रतिनिधियों के साथ ज़िला स्तर पर त्रैमासिक बैठकें आयोजित करनी थीं लेकिन ऐसी बैठकें या तो आयोजित नहीं की गई थीं या समय अंतराल के साथ आयोजित की गई। उन्होंने आवश्यकता के अनुसार बाल देखभाल संस्थानों का निरीक्षण भी नहीं किया और जहां निरीक्षण किया गया, वहां यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई कि बताई गई कमियों को दूर कर लिया गया। दिल्ली स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी (डीएससीपीएस) को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा ने देखा कि सोसायटी द्वारा ऐसी कोई तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। नियमित बैठक और निरीक्षण के अभाव में आईसीपीएस के प्रभावी कार्यान्वयन से समझौता किया गया।

- सीसीआई के माध्यम से संस्थागत देखभाल के अलावा, इन बच्चों को गोद लेने, पालक देखभाल और प्रायोजन के तहत गैर-संस्थागत देखभाल के माध्यम से बच्चों का पुनर्वास किया जाना था। गोद लेने के विभिन्न चरणों में देरी हुई थी जैसे कि बाल अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा जांच रिपोर्ट और विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) द्वारा गोद लेने के लिए बच्चों को स्वतंत्र घोषित करने वाले प्रमाण पत्र अपलोड करना। इसके अलावा,

अदालतों के समक्ष गोद लेने की याचिकाओं को दाखिल करने और भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट अपलोड करने में भी महीनों की देरी हुई थी। बच्चों को गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करने में देरी से उनके गोद लेने की संभावना कम हो गई। अधिकांश मामलों में एसएए द्वारा दत्तक-ग्रहण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई जिसके कारण इस आश्वासन का अभाव था कि गोद लिए गए बच्चों की देखभाल की जा रही है। रा.रा.क्षे.दि.स. ने 'प्रायोजन' और 'पालन देखभाल' योजनाओं को लागू नहीं किया जिसके कारण पारिवारिक वातावरण में बच्चों की वृद्धि और विकास संबंधित जानकारी हासिल नहीं की जा सकी, खासकर उन मामलों में जहां परिवार/रिश्तेदार और अन्य व्यक्ति बच्चों की मदद करने के इच्छुक थे लेकिन आर्थिक तंगी के कारण ऐसा करने में असमर्थ थे।

इस प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं मॉडल नियम, 2016 और संशोधित एकीकृत बाल संरक्षण योजना, 2014 के अनुसार विशेष सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के अधिकारों और हकदारियों को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए।

हम क्या सलाह देते हैं?

1. बाल संरक्षण योजनाओं को लागू करने वाले संस्थानों की समीक्षा, सुधार और निगरानी के लिए नियमित बैठकें आयोजित करें और उनका पालन सुनिश्चित करें। चूककर्ताओं की ज़िम्मेदारी तय की जाए।
2. ज़िला बाल संरक्षण इकाईयों में पर्याप्त स्टाफ को अपेक्षित प्रशिक्षण देकर असुरक्षित बच्चों के लिए की जाने वाली सेवाओं में सुधार को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
3. देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की एक निश्चित समय-सीमा के भीतर पहचान करने तथा ऐसे बच्चों के ज़िला-वार डाटाबेस को बनाए रखने के लिए सर्वेक्षण करें।
4. वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही सीसीआई और अन्य संस्थानों को निधियाँ जारी करें ताकि वे ठीक से काम कर सकें।
5. बाल कल्याण समितियों अपने सामने लाए गए बच्चों की तस्वीरें फेशियल रिकॉग्नीशन सॉफ्टवेयर में अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि लापता बच्चों के विवरण के साथ मिलान किया जा सके।

6. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर सीसीआई के पंजीकरण/नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा करें।

7. सीसीआई में पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराएं और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि वे बच्चों की देखभाल के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।

8. सभी बाल देखभाल संस्थानों में भौतिक बुनियादी ढांचे, कपड़े और बिस्तर, पोषण और आहार तथा शिक्षा के मामले में देखभाल के न्यूनतम मानकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें और उनमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित करें।

9. केंद्रीकृत समन्वय के लिए ट्रैक चाइल्ड पोर्टल में समयबद्ध तरीके से पूरा डेटा अपलोड किया जाए।

10. ज़िला बाल संरक्षण इकाई को बाल देखभाल संस्थाओं का नियमित निगरानी एवं निरीक्षण करना चाहिए।

11. विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां, संभावित माता-पिता की अध्ययन प्रतिवेदन और गोद लेने के लिए बच्चों के विवरण सहित आवश्यक जानकारी समय पर प्रासंगिक वेब पोर्टल में अपलोड करें और बिना किसी विलम्ब के न्यायालय के समक्ष गोद लेने की याचिका दायर करें। विलम्ब के लिए ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

12. प्रायोजन योजना और पालक देखभाल योजना को प्रभावी, कुशल और समय पर कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। गोद लिए गए बच्चों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई निश्चित समय के अनुसार की जानी चाहिए।

अध्याय 1

परिचय

बच्चे समाज में सबसे संवेदनशील एवं असुरक्षित वर्ग हैं इसलिए उन्हें उनकी भलाई और समग्र विकास के लिए वयस्कों द्वारा देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत वयस्कों पर निर्भरता बच्चों के लिए घर में और बाहर दुर्व्यवहार के प्रति उनकी लड़ाई में चुनौतियाँ उत्पन्न करती है। देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (सीएनसीपी) वे हैं जो बेघर हैं, भीख मांगते हुए पाये जाने वाले, सड़क पर रहने वाले, मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग, अनाथ, तस्करी या यौन शोषण, नशीली दवाओं/मादक द्रव्यों के सेवन करने वाले और ऐसे अन्य बच्चे। 'कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे' का तात्पर्य उन बच्चों से है जो अपराध करने के संदेह/आरोपी होने के कारण न्याय प्रणाली के संपर्क में आते हैं।

बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2013 में प्रावधान है कि राज्य सरकार विशेष सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के हकदारी और अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु विशेष सुरक्षा उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाल अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार (भा.स.) ने विभिन्न कानून बनाए, जैसे बाल एवं यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012; दत्तक विनियम, 2017; बाल श्रम अधिनियम, 1986; बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006; अनैतिक व्यापार अधिनियम, 1987; नि:शुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, (किशोर न्याय अधिनियम) 2000 (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के रूप में संशोधित जो जनवरी 2016 से लागू हुआ। भारत सरकार ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 को लागू करने के लिए किशोर न्याय मॉडल नियम 2016 भी बनाए। कठिन परिस्थितियों में बच्चों के साथ-साथ अन्य असुरक्षित बच्चों के लिए एक सुरक्षात्मक वातावरण बनाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने 2009 में (2014 में संशोधित) सरकार-नागरिक समाज भागीदारी के माध्यम से एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य 'देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों' तथा 'कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों' दोनों की सुरक्षा करना था।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी), भारत सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग (डीडब्ल्यूसीडी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के बीच हस्ताक्षर किए गए (मार्च 2010) समझौता ज्ञापन (समझौता ज्ञापन) के अनुसार दिल्ली में आईसीपीएस के कार्यान्वयन के लिए

दिल्ली में डीडब्ल्यूसीडी, रा.रा.क्षे.दि.स. नोडल विभाग था। डीडब्ल्यूसीडी सीएनसीपी की गुणवत्ता मानकों के अनुसार, देखभाल और संरक्षण के लिए ज़िम्मेदार है।

आईसीपीएस में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में योजना के कार्यान्वयन के लिए मौलिक इकाई के रूप में दो राज्य स्तरीय वितरण संरचनाएं जैसे राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एससीपीएस) और राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी (एसएआरए) स्थापित करने का प्रावधान है।

राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एससीपीएस) और राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी (एसएआरए) की संरचना **चित्र 1.1** में दी गई है।

चित्र 1.1: राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एससीपीएस) और राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी (एसएआरए)

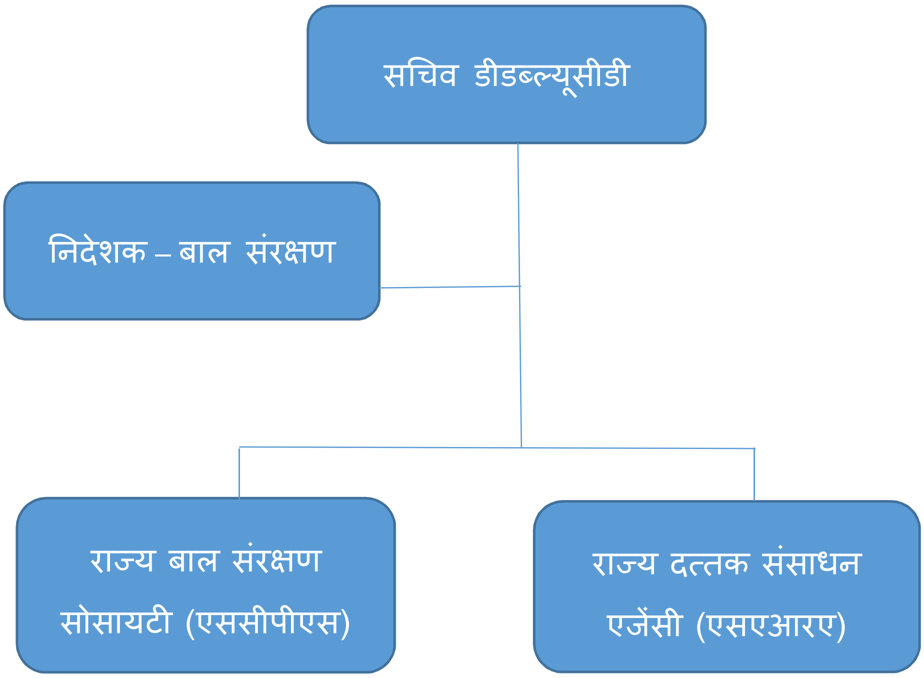

आईसीपीएस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक मौलिक इकाई के रूप में प्रत्येक जिले में एक ज़िला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) की स्थापना की परिकल्पना करता है। ज़िला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू) की संरचना **परिशिष्ट I** में दी गई है।

सीएनसीपी को ये सेवाएं प्रदान करने की गतिविधियां राज्य और ज़िला दोनों स्तरों पर विभिन्न संस्थानों के माध्यम से निष्पादित की जाती हैं, जिनके कार्य[1] नीचे दिए गए हैं:

[1] जैसा कि आईसीपीएस दिशानिर्देशों, किशोर न्याय अधिनियम और किशोर न्याय मॉडल नियमों में परिकल्पित है।

आईसीपीएस के तहत विभिन्न संस्थानों के कार्य

डीडब्ल्यूसीडी
महिला एवं बाल विकास विभाग

डीएससीपीएस
दिल्ली राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एक)
बाल संरक्षण कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन, जिला बाल संरक्षण इकाइयों की स्थापना, राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी, बाल कल्याण समितियों, बाल देखभाल संस्थानों आदि की स्थापना, उचित निधि प्रवाह और इसका उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार।
मंत्री, डब्ल्यूसीडी, रा.रा.क्षे.दि.स. के नेतृत्व में

एसएआरए
राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (एक)
बच्चों को गोद लेने से संबंधित कार्यों की समन्वय, निगरानी करना, जिसमें गोद लेने के कार्यक्रमों का निरीक्षण और निगरानी, अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को गोद लेने के लिए मानकों और उपायों को लागू करना शामिल है।
सचिव डीडब्ल्यूसीडी के नेतृत्व में

डीसीपीयू
जिला बाल संरक्षण इकाई (11)
ज़ोखिम वाले परिवारों और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना, असुरक्षित स्थिति वाले बच्चों का जिला विशिष्ट डेटाबेस का निर्माण, स्वैच्छिक संगठनों की पहचान और सहायता, प्रायोजन, पालक देखभाल, गोद लेने और उसके बाद देखभाल कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

डीएम

सीडब्ल्यूसी
बाल कल्याण समितियां (10)
अपने सामने पेश किए गए बच्चों का संज्ञान लेना और प्राप्त करना, बच्चों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित और प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों पर जांच करना, देखभाल, सुरक्षा और उचित पुनर्वास सुनिश्चित करना, या देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को उनके माता-पिता को लौटाना आदि।

सीसीआई
बाल देखभाल संस्थान (96)
देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे जिन्हें किसी कारण से परिवारों के साथ नहीं रखा गया है, उन्हें बाल देखभाल संस्थान में रखा जा सकता है।
प्रभारी अधिकारी (अधीक्षक) की नेतृत्व में

बाल गृह	ओपन शेल्टर	विशिष्ट दत्तक एजेंजी	आफटर केयर होम
(76)	(09)	(09)	(02)

लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, कवरेज और क्रियाविधि

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह देखना था कि क्या सरकार ने देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रभावी देखभाल, सहायता और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की थी और क्या बाल देखभाल संस्थान कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे थे और एक मजबूत निगरानी तंत्र मौजूद था। इस लेखापरीक्षा ने दिल्ली में सीएनसीपी के कल्याण के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा उठाए गए कदमों को सम्मिलित किया लेकिन 'कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों' को शामिल नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने डीडब्ल्यूसीडी के अप्रैल 2018 से मार्च 2021 तक के तीन वर्षों के अभिलेखों की जांच की तथा कुछ अन्य संस्थानों की नमूना जांच भी की जो दिल्ली में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को सेवाएं प्रदान कर रहे थे। चयनित संस्थान निम्नलिखित थे-

- दिल्ली राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी (डीएससीपीएस) और विशिष्ट दत्तक संसाधन एजेंसी (एसएआरए)
- 11 ज़िला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) में से चार[2]
- 10 बाल कल्याण समितियां (सीडब्ल्यूसी) में से चार[3]
- पंद्रह बाल देखभाल संस्थान (सरकार और सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित 44 में से) जिसमें नौ बाल गृह, दो ओपन शेल्टर, दो विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियां और दो आफ्टर केयर होम शामिल हैं, जैसा कि **परिशिष्ट II** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए 20 दिसंबर 2021 को विशेष सचिव-सह-निदेशक (डब्ल्यूसीडी), रा.रा.क्षे.दि.स. के साथ एक्ज़िट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। सरकार से प्राप्त जवाब को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

---

[2] डीसीपीयू-I (मध्य), डीसीपीयू-II (उत्तर-पूर्व और शाहदरा), डीसीपीयू-III (दक्षिण), और डीसीपीयू-V (उत्तर)

[3] सीडब्ल्यूसी-II (दक्षिण), लाजपत नगर, सीडब्ल्यूसी-III (मध्य), किंग्सवे कैंप, सीडब्ल्यूसी-V (उत्तर पूर्व और शाहदरा), दिलशाद गार्डन और सीडब्ल्यूसी- एक्स (उत्तर), अलीपुर

अध्याय 2

एकीकृत बाल संरक्षण योजना का कार्यान्वयन

अधिकांश क्षेत्रों में ज़रूरतमंद बच्चों को देखभाल एवं संरक्षण प्रदान करने की दिशा में रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रयास कम और धीमे थे। योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थानों जैसे कि एसएआरए, सीडब्ल्यूसी तथा डीसीपीयू के सृजन में विलम्ब हुई। डीएससीपीएस, जो आईसीपीएस के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष निकाय था, आवश्यक प्रोत्साहन और नेतृत्व प्रदान करने में विफल रहा क्योंकि इसकी शासी निकाय और कार्यकारी समिति निष्क्रिय थी। सर्वेक्षण आदि के माध्यम से देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या का आकलन करने अथवा उनकी पहचान करने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया था। दिल्ली में सीएनसीपी से संबंधित आंकड़ों के अभाव में, रा.रा.क्षे.दि.स. उनकी देखभाल और इसके लिए पर्याप्त संसाधनों के आवंटन की योजना बनाने की स्थिति में नहीं था। वित्तीय प्रबंधन में भी कमी थी क्योंकि व्यय बजट आवंटन से काफी कम था, जो कि अवास्तविक बजट को दर्शाता है। सरकार गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित सीसीआई को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में विफल रही क्योंकि निधि जारी करने में विलम्ब की। रा.रा.क्षे.दि.स. आईसीपीएस के कार्यान्वयन के लिए अनुदानों में बढ़े हुए केंद्रीय हिस्से का लाभ उठाने में भी विफल रही।

आईसीपीएस का मूल उद्देश्य देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले सभी बच्चों को देखभाल एवं संरक्षण प्रदान करना था और इसके दिशानिर्देशों के अनुसार योजना को लागू करने के लिए प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एक राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एससीपीएस) स्थापित करना आवश्यक था। समझौता ज्ञापन के अनुसार, बाल संरक्षण/कल्याण मामलों से संबंधित सचिव, डीडब्ल्यूसीडी, रा.रा.क्षे.दि.स. आईसीपीएस के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल अधिकारी हैं, जबकि एमओडब्ल्यूसीडी को आईसीपीएस के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली में एक केंद्रीय परियोजना सहायता इकाई (सीपीएसयू) और राज्य में राज्य परियोजना सहायता इकाई (एसपीएसयू) स्थापित करने के लिए डीडब्ल्यूसीडी को धन उपलब्ध कराना था।

सीपीएसयू और एसपीएसयू को मिशन निदेशक की अध्यक्षता में "मिशन निदेशालय" के रूप में कार्य करना था। राज्य सरकार को आईसीपीएस के तहत राज्य में बाल संरक्षण सेवाओं की आवश्यकताओं का आकलन करना था और तद्नुसार राज्य के बजट में समय पर बजटीय प्रावधान करना था। किश्तों को जारी करने के लिए अनुरोध करते समय, इसे कुल राशि का उपयोग प्रमाण-पत्र,

यानी पिछली किश्त के केंद्र और राज्य के हिस्से को, प्रस्तुत करना होगा और अपने "स्टेट मैचिंग शेयर" को प्रमाणित करना होगा।

डीडब्ल्यूसीडी को उन सभी मौजूदा परियोजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करना था जिन्हें आईसीपीएस के तहत लाया गया है जैसे (i) सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम; (ii) किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम; और (iii) आईसीपीएस मानदंडों के अनुसार देश में गोद लेने को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के लिए गृहों (शिशु गृह) को सहायता योजना।

2.1 योजना

2.1.1 देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास/बहाली, गोद लेने और पुन: एकीकरण के लिए डीएससीपीएस/एसएआरए /सीडब्ल्यूसी/डीसीपीयू-सहायता संरचना की स्थापना

डीडब्ल्यूसीडी को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के तीन महीने के भीतर राज्य स्तर पर डीएससीपीएस एवं एसएआरए और प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड, सीडब्ल्यूसी और विशेष किशोर पुलिस इकाइयों की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यान्वयन अनुसूची विकसित करनी थी। डीडब्ल्यूसीडी को छः महीने के भीतर ज़िला बाल संरक्षण समितियां, प्रत्येक जिले में विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियां और एक दत्तक समन्वय एजेंसी भी स्थापित करनी थी।

2.1.1.1 दिल्ली राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी (डीएससीपीएस)

केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (मार्च 2010) के अनुसार, दिल्ली एससीपीएस का गठन अगस्त 2010 में सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी के रूप में किया गया था, जिसका विशिष्ट उद्देश्य दिल्ली में आईसीपीएस के कार्यान्वयन के लिए डीडब्ल्यूसीडी को एक अतिरिक्त प्रबंधकीय एवं तकनीकी क्षमता प्रदान करना और परिचालन करना था। डीएससीपीएस की अध्यक्षता डीडब्ल्यूसीडी के मंत्री के द्वारा की जाती है और इसमें 16 सदस्य होते हैं जिसमें एक गैर-सरकारी संगठन से एक सदस्य सहित अधिकतर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं।

समझौता ज्ञापन के खंड 3.4 के अनुसार, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य मुख्य रूप से ज़िम्मेदार था, जबकि डीएससीपीएस इसकी कार्यान्वयन शाखा थी।

डीएससीपीएस के लक्ष्यों और उद्देश्यों में शामिल हैं (ए) ज़रूरतमंद बच्चों के लिए आपातकालीन आउटरीच, संस्थागत देखभाल, परिवार और समुदाय आधारित देखभाल, परामर्श और सहायता सेवाओं के लिए सेवाएं स्थापित करना; (बी) ज़िला

स्तर पर आईसीपीएस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संरचनाओं और तंत्रों को स्थापित करना और उन्हें मजबूत करना; (सी) सभी स्तरों पर सभी पदाधिकारियों की क्षमता का निर्माण; (डी) आईसीपीएस के तहत ज़िम्मेदारीयों को निभाने के लिए संबंधित संस्थाओं जैसे स्थानीय निकायों, पुलिस, न्यायपालिका आदि के सदस्यों को संवेदनशील और प्रशिक्षित करना; (ई) बाल संरक्षण डेटा प्रबंधन प्रणाली और बाल सुरक्षा सेवाओं आदि के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए बाल ट्रैकिंग प्रणाली के लिए तंत्र बनाना। यह विभिन्न कार्यों का निर्वहन करता है और अपने समझौता ज्ञापन एवं नियमों और विनियमों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करता है। डीएससीपीएस शासी निकाय (शा.नि.), कार्यकारी समिति (का.स.) के माध्यम से कार्य करता है।

डीएससीपीएस की शासी निकाय - लेखापरीक्षा ने पाया कि डीएससीपीएस की शासी निकाय की तीन वर्ष 2018-21 की अवधि के दौरान केवल एक बार (जुलाई 2019) बैठक हुई थी। आयोजित एकमात्र बैठक में, नियमित मामलों के अलावा, एजेंडा में एकमात्र मद, प्रायोजन योजना का कार्यान्वयन था, जिसके लिए उपमुख्यमंत्री को एसओपी का मसौदा प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था। आगे कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकार वार्षिक बजट, वार्षिक कार्य योजना, वित्तीय स्थिति और विशेषज्ञों एवं प्रशासनिक/तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती/नियुक्ति से संबंधित मामलों पर न तो चर्चा की जा सकी और न ही मुद्दों पर कोई आवश्यक दिशा-निर्देश मांगा जा सका।

इस प्रकार, शासी निकाय की नियमित बैठकों के अभाव में, आईसीपीएस के कार्यान्वयन में सरकार के आवश्यक निर्देशों और प्रेरणा की कमी थी।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि कोविड-19 महामारी के कारण शासी निकाय की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासी निकाय की बैठकें कोविड-19 से पहले भी आवश्यकतानुसार आयोजित नहीं की गई थीं।

डीएससीपीएस की कार्यकारी समिति: डीएससीपीएस की कार्यकारी समिति (का.स.) शासी निकाय की ओर से सभी कार्यों को करने और सभी निर्णय लेने तथा शासी निकाय में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ज़िम्मेदार है, सिवाय उसके जो शासी निकाय द्वारा विशिष्ट रूप से अलग रखा गया है। का.स. के अध्यक्ष बच्चों के लिए राज्य बाल संरक्षण नीति और राज्य कार्य योजना के नियमन की सुविधा के द्वारा राज्य में आईसीपीएस और अन्य सभी बाल संरक्षण नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन का नेतृत्व करते हैं। अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए, का.स. को तीन महीने में कम से कम एक

बार मिलना आवश्यक था। इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी होने के बावजूद, का.स. ने 2018-19 से 2020-21 तक तीन वर्षों की अवधि के दौरान, निर्धारित न्यूनतम 12 त्रैमासिक बैठकों की तुलना में केवल एक बार (दिसंबर 2018) बैठक की। शासी निकाय और कार्यकारी समिति की आवधिक बैठकों के अभाव से संकेत मिलता है कि डीएससीपीएस, जो आईसीपीएस को लागू करने के लिए सर्वोच्च संस्थान है, अपना काम सावधानी से नहीं कर रहा था और योजना के कार्यान्वयन को नियंत्रणहीन छोड़ दिया। डीएससीपीएस के कामकाज में खामियों को बाद के पैराग्राफों में चर्चा की गई टिप्पणियों में देखा जा सकता है।

अनुशंसा सं. 1: बाल संरक्षण योजनाओं को लागू करने वाले संस्थानों की समीक्षा, सुधार और निगरानी के लिए नियमित बैठकें आयोजित करें और उनका पालन सुनिश्चित करें। चूककर्ताओं की ज़िम्मेदारी तय की जाए।

2.1.1.2 राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएआरए)

समझौता ज्ञापन (मार्च 2010) के अनुसार, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के तीन महीने के भीतर, यानी जून 2010 तक एसएआरए का गठन किया जाना था, हालांकि, यह देखा गया कि एसएआरए का गठन सितंबर 2011 में यानी 14 महीने के विलम्ब के बाद किया गया। एसएआरए के गठन में विलम्ब के बाद भी, इसके शासी निकाय का गठन जून 2018 में किया गया था। राज्य में गोद लेने की प्रक्रिया या प्रणालियों में परिचालन के साथ-साथ लॉजिस्टिक मुद्दों और बाधाओं को दूर करने के लिए एसएआरए के शासी निकाय को प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक करनी आवश्यक थी।

डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत एसएआरए का कोई प्रावधान नहीं था और इसे आईसीपी योजना के अंतर्गत सितंबर 2011 में गठित किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमओडब्ल्यूसीडी, भारत सरकार और रा.रा.क्षे.दि.स. के बीच मार्च 2010 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार तीन महीने के भीतर एसएआरए का गठन आवश्यक था।

2.1.1.3 बाल कल्याण समितियां

केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच मार्च 2010 के समझौता ज्ञापन के अनुसार, प्रत्येक जिले में सीडब्ल्यूसी का गठन दिल्ली सरकार द्वारा तीन महीने के भीतर, यानी जून 2010 तक किया जाना था। हालांकि, 10 में से दो सीडब्ल्यूसी, सीडब्ल्यूसी-IX गोल मार्केट और सीडब्ल्यूसी-X अलीपुर, छः साल[4] से अधिक के विलम्ब से गठित किए गए थे।

---

[4] सीडब्ल्यूसी-IX गोले मार्केट और सीडब्ल्यूसी-X अलीपुर क्रमशः सितंबर 2017 और जनवरी 2018 को गठित किए गए थे।

2.1.1.4 ज़िला बाल संरक्षण इकाइयां (डीसीपीयू)

केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (मार्च 2010) में छः महीने के भीतर डीसीपीयू का गठन करना निर्धारित किया था। इन संस्थानों के समय पर गठन के लिए डीडब्ल्यूसीडी, रा.रा.क्षे.दि.स. ज़िम्मेदार था। लेखापरीक्षा ने देखा कि ज़िलों में सभी 11 डीसीपीयू (डीडब्ल्यूसीडी मुख्यालय में एक सहित) छः साल तक के विलम्ब के बाद गठित किए गए थे जैसा कि **परिशिष्ट III** में वर्णित है।

डीसीपीयू के गठन में विलम्ब, जो ज़रूरतमंद बच्चों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यरत बाल देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए ज़िला स्तर की संस्थाएं हैं, बच्चों की जरूरतों के प्रति सरकार की मंशा और असंवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है।

डीडब्ल्यूसीडी ने जवाब दिया (दिसंबर 2021) कि डीसीपीयू की स्थापना एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें कई प्राधिकरण और अनुपालन शामिल हैं। कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने के बाद, सभी 11 ज़िलों में डीसीपीयू स्थापित किए गए और रिक्त पदों को भरने के लिए कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। विलम्ब के लिए दिए गए सभी कारण प्रशासनिक प्रकृति के हैं और उन्हें समय पर सूचित किया जाना चाहिए था।

स्टाफ की कमी: डीसीपीयू संबंधित जिले के ज़िला मजिस्ट्रेट के प्रशासनिक नियंत्रण और समग्र पर्यवेक्षण के तहत कार्य करता है और प्रत्येक डीसीपीयू का नेतृत्व एक ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी करता है। प्रत्येक डीसीपीयू में, इसके सुचारू संचालन के लिए 12 अधिकारियों की आवश्यकता होती है जिसे तीन और बाहरी कर्मचारियों के साथ बढ़ाकर 15 किया जा सकता है। आईसीपीएस दिशानिर्देश यह उपबंध करता है कि सामाजिक कार्यकर्ता अपने संबंधित क्लस्टर में क्षेत्र स्तर की गतिविधियों के समन्वय के लिए ज़िम्मेदार हैं। बाहरी कर्मचारी अपने संबंधित सुरक्षा अधिकारियों को उनकी भूमिकाओं और ज़िम्मेदारीयों को पूरा करने में सहायता करते हैं।

लेखापरीक्षा ने चार नमूना-जांच किए गए डीसीपीयू में, विशेष रूप से सामाजिक कार्यकर्ता और बाहरी कर्मचारियों के प्रमुख पदों में 16 प्रतिशत से 63 प्रतिशत के बीच स्टाफ की कमी देखी। सभी चार डीसीपीयू में स्टाफ की उपलब्धता की स्थिति **परिशिष्ट IV** में दी गई है। डीसीपीयू में कर्मचारियों की कमी संभावित रूप से असुरक्षित बच्चों की पहचान में उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है और डीसीपीयू को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है तथा जो

डीसीपीयू के कामकाज में कमियों में योगदान दे सकता है जो पिछले पैराग्राफों में इंगित किए गए हैं।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि डीसीपीयू में रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जुलाई 2021 में प्रकाशित किए गए हैं और उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

अनुशंसा सं. 2: ज़िला बाल संरक्षण इकाईयों में पर्याप्त स्टाफ को अपेक्षित प्रशिक्षण देकर असुरक्षित बच्चों के लिए की जाने वाली सेवाओं में सुधार को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.1.2 देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान

बाल संरक्षण गतिविधियों की सफलता कठिन परिस्थितियों में बच्चों की उचित पहचान पर निर्भर करती है। संशोधित आईसीपीएस दिशानिर्देश, 2014 के अध्याय 3 के पैरा 2.1 (iii) और (iv) में कहा गया है कि डीसीपीयू देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए ज़िम्मेदार होगा और ऐसे बच्चों का ज़िला विशिष्ट डेटाबेस तैयार करेगा। हालांकि, लेखापरीक्षा जांच में डीसीपीयू की ओर से देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान में लापरवाही का पता चला।

निम्नलिखित कमियां देखी गईं:

- नमूना-जांच किए गए सभी चार डीसीपीयू में, सीएनसीपी का ज़िला-वार डेटाबेस उपलब्ध नहीं था।
- रा.रा.क्षे.दि.स. ज़रूरतमंद बच्चों की पहचान करने में सक्रिय नहीं था और ऐसे बच्चों की पहचान करने और उन्हें सरकार की देखरेख में लाने के लिए मुख्य रूप से दिल्ली पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वैच्छिक/गैर-सरकारी संगठनों आदि जैसे अन्य संस्थानों/व्यक्तियों पर निर्भर था।
- नमूना जांच किए गए डीसीपीयू (मध्य) में से एक ने कहा (जून 2021) कि निधियों की अनुपलब्धता और कम स्टाफ के कारण, उन्होंने जोखिम वाले परिवारों की पहचान नहीं की।

इस प्रकार, असुरक्षित बच्चों की पहचान/डेटाबेस तैयार करने की बुनियादी सक्रियता जो डीडब्ल्यूसीडी के समग्र पर्यवेक्षण के तहत नमूना जांच किए गए डीसीपीयू द्वारा किया जाना आवश्यक था, जो नहीं किया गया। ज़रूरतमंद बच्चों के संबंध में जानकारी के अभाव में बच्चों के संरक्षण के लिए कोई भी नीति योजना या कार्यान्वयन दोषपूर्ण होना था।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि 2018 में एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें 73,128 बच्चों को सड़क पर असुरक्षित बच्चों के रूप में पहचाना गया। आगे कहा गया कि सड़क पर पाए गए बच्चों का डेटा दिसंबर 2021 में डीसीपीयू के साथ साझा किया गया है।

जवाब भ्रामक है क्योंकि क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान कोई सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही जवाब के साथ संलग्न किया गया था। यह भी देखा गया कि कुल मिलाकर, दिल्ली में बाल देखभाल संस्थानों में केवल 3401[5] बच्चों की देखभाल की गई थी, जबकि उनके अपने अनुमान के अनुसार 73,000 से अधिक निराश्रित बच्चे घोर कष्ट में रह रहे थे।

अनुशंसा सं. 3: देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की एक निश्चित समय-सीमा के भीतर पहचान करने तथा ऐसे बच्चों के ज़िला-वार डाटाबेस को बनाए रखने के लिए सर्वेक्षण करें।

2.2 वित्तीय व्यवस्था

आईसीपीएस एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है और इसे केंद्र सरकार से भारी वित्तीय सहायता के साथ राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से लागू किया जाता है। यह योजना केंद्र/राज्यों/गैर सरकारी संगठनों के बीच निम्नलिखित लागत बंटवारा अनुपात के साथ कार्यान्वित की जाती है जैसा कि **तालिका 2.1** में दिया गया है।

तालिका 2.1: केंद्र/राज्यों/गैर सरकारी संगठनों के बीच लागत बंटवारा अनुपात

क्र. सं.	अवयव	केंद्रीय शेयर	राज्य शेयर	एनजीओ शेयर
i.	राज्य परियोजना सहायता इकाई, राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी और ज़िला बाल संरक्षण इकाई के सभी संरचनात्मक घटक	75%	25%	---
ii.	किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रदान किए गए नियामक निकाय	35%	65%	---
iii.	सरकार द्वारा संचालित सभी गृह/विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएए)	75%	25%	---
iv.	गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सभी घर/एसएए	75%	15%	10%
v.	एनजीओ की भागीदारी से चलाए जा रहे ओपन शेल्टर	90%	---	10%

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान आईसीपीएस के तहत बजट (भारत सरकार और रा.रा.क्षे.दि.स. दोनों के हिस्से) का विवरण, उसके प्रतिकूल किए गए व्यय और अव्ययित शेष राशि **तालिका 2.2** में दी गई है।

[5] मार्च 2021 तक

तालिका 2.2: डीएससीपीएस को जारी की गई निधि और किया गया व्यय

(₹ लाख में)

साल	बजट		कुल	व्यय		कुल	अव्ययित शेष		कुल
	केंद्रीय शेयर*	राज्य शेयर		केंद्रीय शेयर	राज्य शेयर		केंद्रीय शेयर	राज्य शेयर	
2018-19	1063.7	688.91	1752.61	849.99	509.05	1359.04	213.71	179.86	393.57
2019-20	1104.44	722.14	1826.58	717.64	407.98	1125.62	386.80	314.16	700.96
2020-21	964.47	648.83	1613.30	726.87	425.14	1152.01	237.60	223.69	461.29
कुल	**3132.61**	**2059.88**	**5192.49**	**2294.50**	**1342.17**	**3636.67**			

* भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान आईसीपीएस पर कुल बजट और व्यय क्रमशः ₹ 5192.49 लाख और ₹ 3636.67 लाख था और इन वित्तीय वर्षों के अंत में अव्ययित शेष बजट का 22 से 38 प्रतिशत था। बजट में अव्ययित शेष बाल देखभाल गतिविधियों जैसे सर्वेक्षण करने, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा संचलित बाल संरक्षण संस्थानों की निर्वाह स्थिति में सुधार लाने इत्यादि को निष्पादित नहीं करने का कारण था। जैसा कि पैरा 4.2 - रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा संचालित सीसीआई की कार्यप्रणाली में चर्चा की गई है।

वित्तीय प्रबंधन में देखी गई अन्य कमियां निम्नानुसार हैं:

2.2.1 सहायता अनुदान के केंद्रीय हिस्से में वृद्धि का दावा नहीं किया गया

आईसीपीएस, 2014 के संशोधित दिशानिर्देशों ने आईसीपीएस में केंद्र के लागत हिस्से में वृद्धि कर दी जैसा कि **तालिका-2.1** में दिखाया गया है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि डीएससीपीएस ने पुराने शेयरिंग अनुपात (केन्द्र/राज्य/एनजीओ के शेयर - 60:30:10) के अनुसार भारत सरकार को प्रस्ताव भेजना जारी रखा और भारत सरकार ने पुराने शेयरिंग अनुपात के अनुसार निधियां स्वीकृत की। केंद्र:राज्यों/एनजीओ के बीच संशोधित शेयरिंग अनुपात को न अपनाने के कारण, रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2018-21 के दौरान ₹ 839.50 लाख (₹ 294.53 लाख+₹ 290.66 लाख+₹ 254.31 लाख) का कम हिस्सा प्राप्त किया, जैसा कि **परिशिष्ट V** में दिखाया गया है।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है क्योंकि भारत सरकार को भेजा गया प्रस्ताव एससीपीएस 2014 के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार था और तद्नुसार डीडब्ल्यूसीडी को सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है। डीडब्ल्यूसीडी का तर्क सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रस्ताव पुराने फॉर्मूले के अनुसार भेजे गए थे।

2.2.2 सीसीआई को निधियां जारी करने में विलम्ब

भारत सरकार डीडब्ल्यूसीडी द्वारा भेजे गए बजट प्रस्तावों के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में डीडब्ल्यूसीडी, रा.रा.क्षे.दि.स. को धनराशि जारी करती है। जीएफआर, 2017 के नियम 230(11) के अनुसार एक वित्तीय वर्ष के लिए निधियों के आवंटन हेतु बजट प्रस्ताव पिछले वर्ष के सितंबर तक भारत सरकार को भेजे जाने होते हैं। हालांकि, डीडब्ल्यूसीडी ने समय पर भारत सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजे और शुरू होने के छः महीने पहले भेजने के बजाए 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के प्रस्ताव क्रमशः जुलाई 2018, जून 2019 और दिसंबर 2020 में, यानी वित्तीय वर्ष शुरू होने के तीन से नौ महीने बाद भेजे गए।

ज़रूरतमंद बच्चों की देखभाल करने में लगी संस्थाओं को डीडब्ल्यूसीडी द्वारा निधियां जारी करने में विलम्ब था। वर्ष 2018-19 के लिए डीसीपीयू/सीसीआई को अगले वित्तीय वर्ष में निधियाँ जारी की गई थी, एक किस्त अप्रैल 2019 में और दूसरी दिसंबर 2019 में। 2019-20 में, निधियाँ फरवरी और मार्च 2020 में जारी की गई थी, जबकि 2020-21 में निधियाँ फरवरी और मई 2021 में जारी की गई। निधियाँ जारी करने में विलम्ब के कारण का अभिलेख नहीं था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निधियों को जारी करने में विलम्ब से विभिन्न संस्थानों के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जैसे कि कर्मचारियों को वेतन के भुगतान में विलम्ब आदि। इस तरह की विलम्ब, गुणवत्ता के साथ समझौता करने के अलावा विभिन्न संस्थानों को चलाने वाले कर्मचारियों के मनोबल के लिए और बच्चों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने सहित प्रदान की जाने वाली सेवाओं की समयबद्धता के लिए भी अहितकर है। निधियां जारी करने में विलम्ब ने डीएससीपीएस, सीडब्ल्यूसी, एसएआरए, डीसीपीयू और सरकारी सीसीआई के पास पड़ी हुई अव्ययित शेष राशि में योगदान दिया। इन संस्थानों के पास पड़ी अव्ययित शेष राशि जारी की गई निधियों के 20 से 100 प्रतिशत के बीच थी।

बच्चों की देखभाल प्रदान करने में शामिल स्वैच्छिक संगठन ज़रूरतमंद बच्चों की देखभाल के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के बीच के अंतर को भरने की कोशिश कर रहे हैं, जो अनिवार्य रूप से सरकार की ज़िम्मेदारी है। सीसीआई को धन जारी करने में देरी सरकार के रवैये को दर्शाती है कि इन संस्थानों को चलाना स्वयंसेवी संगठनों की ज़िम्मेदारी है, जो ज़रूरतमंद बच्चों के लिए अच्छा नहीं है।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि उनके द्वारा प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी), भारत सरकार को परियोजना

अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठक से काफी पहले भेजे गए थे और उनकी ओर से कोई देरी नहीं हुई है क्योंकि मंजूरी केवल पीएबी के निर्णय और एमओडब्ल्यूसीडी से प्राप्त स्वीकृति पर निर्भर करती है। जवाब सही नहीं है क्योंकि जीएफआर के नियम 230(11) के अनुसार डीडब्ल्यूसीडी, रा.रा.क्षे.दि.स. को पिछले वर्ष के सितंबर तक वित्तीय वर्ष के लिए निधि के आवंटन का प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता थी। एमओडब्ल्यूसीडी, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने में विलम्ब के परिणामस्वरूप सीसीआई/डीसीपीयू/सीडब्ल्यूसी को निधियां जारी करने में और भी विलम्ब हुआ।

अनुशंसा सं. 4: वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही सीसीआई और अन्य संस्थानों को निधियाँ जारी करें ताकि वे ठीक से काम कर सकें।

2.2.3 डीएससीपीएस द्वारा अपात्र सीसीआई को अनुदान जारी करना

दिल्ली राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी (डीएससीपीएस) बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान (स.अ.) प्रदान करती है। अनुदान की शर्तों के अनुसार, यदि स्वीकृति के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो राज्य सरकार के पास सहायता अनुदान को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में एनजीओ राशि वापस कर देगा। अनुदानग्राही संस्थानों को भी संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खातों और उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्रमाणित प्रतियां डीएससीपीएस को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

डीएससीपीएस ने वर्ष 2017-18 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के कारण, 2018-19 के लिए 13 अनुदानग्राही सीसीआई को 25 प्रतिशत सहायता अनुदान रोक दिया। तत्पश्चात, इन 13 अनुदानग्राहियों में से आठ ने डीएससीपीएस को लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत किए। हालांकि, डीएससीपीएस ने सभी 13 अनुदानग्राहियों को अनुदान जारी किया, यद्यपि शेष पांच अनुदानग्राहियों ने लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए। इन पांच अनुदानग्राहियों को जारी अनुदान राशि ₹ 22.77 लाख थी।

डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि एससीपीएस ने संबंधित गैर सरकारी संगठनों से लेखापरीक्षित खातों और उपयोगिता प्रमाणपत्रों सहित अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त किए। लेखापरीक्षा में विलम्ब के कारण उक्त सीसीआई में रखे गये बच्चों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए बाद में अनुदान जारी किया गया तथा कुल अनुदान का 25 *प्रतिशत* रोक दिया गया।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह एक तथ्य है कि इन पांच सीसीआई को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले ही अनुदान जारी कर दिया गया था।

अध्याय 3

बाल कल्याण समितियां की कार्यप्रणाली

सीडब्ल्यूसी ने न तो उनके सामने पेश किए गए बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के संबंध में आदेश जारी करने के बाद उनकी प्रगति का पालन सुनिश्चित किया और न ही पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए निर्दिष्ट पोर्टल पर आदेश अपलोड किया। उन्होंने फेशियल रिकॉग्नीशन सिस्टम पर बरामद बच्चों की तस्वीरें भी अपलोड नहीं की ताकि लापता बच्चों के विवरण के साथ मिलान किया जा सके, जो माता-पिता और बच्चों के लिए अलगाव के आघात को कम करने हेतु चिंता की कमी को दर्शाता है।

बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) का मुख्य कार्य बच्चे की व्यक्तिगत देखभाल योजना के आधार पर ज़रूरतमंद बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, उचित पुनर्वास या वापसी सुनिश्चित करना तथा माता-पिता, अभिभावकों, योग्य व्यक्तियों, बाल-गृह अथवा उपयुक्त सुविधाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देना है।

जब भी किसी बच्चे को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है तो उसे पुलिस/डीसीपीयू/सामाजिक कार्यकर्ता/स्वैच्छिक/गैर-सरकारी संगठन और किसी भी लोक सेवक, आदि द्वारा बच्चे पाये जाने के 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।

सीडब्ल्यूसी के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

- इसके समक्ष प्रस्तुत करने से पहले बच्चे को प्राप्त करना और संज्ञान लेना;
- किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों की सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित और उन्हें प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों पर पूछताछ करना;
- देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की घोषणा करने के लिए पूछताछ करना, इन बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, उचित पुनर्वास या बहाली सुनिश्चित करना;
- इस संबंध में माता-पिता या अभिभावकों या उपयुक्त व्यक्तियों या बाल गृहों या उपयुक्त सुविधा के लिए आवश्यक निर्देश जारी करना;
- उचित जांच के बाद अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करना, इत्यादि।

सीडब्ल्यूसी की बच्चे को उसके माता-पिता, अभिभावकों, उपयुक्त व्यक्ति या बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) को भेजने के लिए जांच करने और आदेश पारित

करने की ज़िम्मेदारी है। अठारह वर्ष की आयु पूरी करने पर बाल गृह छोड़ने वाले किसी भी बच्चे को 21 वर्ष की आयु तक आफ्टर केयर होम में रखा जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने नमूना-जांच किए गए चार सीडब्ल्यूसी के कामकाज का आकलन किया और निम्नलिखित चूक/कमियाँ देखीं:

3.1 सीडब्ल्यूसी द्वारा बच्चों की प्रगति का अनुवर्तन नहीं किया गया

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 19(18) के अनुसार, मामले को अंतिम रूप से निपटान करते समय, सीडब्ल्यूसी मामले के निपटान की तारीख से एक महीने के भीतर और उसके बाद छः महीने तक हर महीने में एक बार और उसके बाद कम से कम एक साल तक तीन महीने में एक बार के लिए या जब तक सीडब्ल्यूसी उचित समझे, बच्चे के अनुवर्ती कार्रवाई की एक तारीख देगा।

लेखापरीक्षा ने एक नमूना जांच किए गए सीडब्ल्यूसी में पाया कि संबंधित सीसीआई/डीसीपीयू द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई, जैसा कि आदेश में उल्लेखित था, और सुनवाई की अगली तारीख में बच्चों को सीडब्ल्यूसी में पेश नहीं किया गया। फिर भी, सीडब्ल्यूसी ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधन समिति की बैठकों में बच्चे की प्रगति की समीक्षा की जाती है। व्यक्तिगत मामलों की आवधिक समीक्षा भी संबंधित बाल कल्याण समिति द्वारा की जाती है और आवश्यक समझे जाने वाले निर्देशों को आवश्यक हस्तक्षेपों के साथ पारित किया जाता है, अर्थात् बहाली, पुनर्वास, संरक्षण का हस्तांतरण या बच्चे को सीसीआई में बनाए रखने की अनुमति देना, जैसा भी मामला हो। साथ ही, इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये।

3.2 सीडब्ल्यूसी द्वारा फेशियल रिकॉग्नीशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए कार्रवाई में विलम्ब

बच्चे का परिवार से अलग होना बच्चे और परिवार दोनों के लिए दुखदायी होता है। एक लापता बच्चे के संबंध में एक याचिका के आधार पर, माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने गंभीर चिंता व्यक्त की और देखा कि जनवरी 2016 से दिसंबर 2018 तक लापता बच्चों के 19,916 मामलों में से केवल 14,756 बच्चों का पता लगाया गया और उनके परिवार के सदस्यों के साथ फिर से जोड़ा गया जबकि, 5,160 बच्चों का पता लगाया जाना बाकी है। माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के निर्देशों (22 जनवरी 2019) पर विभिन्न हितधारकों के

बीच एक बैठक आयोजित की गई थी (28 मार्च 2019), जिसमें निर्णय लिया गया था कि सीडब्ल्यूसी को बरामद बच्चों की तस्वीरें फेशियल रिकॉग्नीशन सॉफ्टवेयर (एफआरएस) पर अपलोड करनी थी ताकि लापता बच्चों के विवरण का मिलान किया जा सके। हालांकि, 2018-19 से 2020-21 के दौरान लापता बच्चों के रिकार्ड के प्रति केवल सीडब्ल्यूसी-II, लाजपत नगर और सीडब्ल्यूसी-X, अलीपुर ने एफआरएस में क्रमशः 56 और 12 तस्वीरें अपलोड कीं और अन्य सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किए गए बच्चों के विवरण और तस्वीरें अपलोड और जांच नहीं की गई।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि एफआरएस का रखरखाव दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा है और यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए सीडब्ल्यूसी के अध्यक्षों/सदस्यों का विवरण प्रदान किया जा रहा है। हालांकि, जवाब से सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किए गए बच्चों में से लापता बच्चों की पहचान करने के लिए एफआरएस का उपयोग हेतु कार्रवाई करने में विलम्ब का कारण प्रदान नहीं करता है।

अनुशंसा सं. 5: बाल कल्याण समितियाँ अपने सामने लाए गए बच्चों की तस्वीरें फेशियल रिकॉग्नीशन सॉफ्टवेयर में अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि लापता बच्चों के विवरण के साथ मिलान किया जा सके।

3.3 सीडब्ल्यूसी के आदेश अपलोड करने में विफलता

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के उप नियम 19 (21) के अनुसार, एक बच्चे के संबंध में सीडब्ल्यूसी द्वारा पारित सभी आदेशों को बच्चे की निजता और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए एक निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है। चूंकि बाल देखभाल सामाजिक महत्व का मुद्दा है, इसलिए पोर्टल पर सूचना डालने से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है और सार्वजनिक डोमेन में जानकारी के लिए जवाबदेही किसी भी व्यक्ति द्वारा जांच के लिए खुली है। लेखापरीक्षा ने देखा कि ऐसी कोई प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई थी।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि सभी सीडब्ल्यूसी को उपलब्ध पोर्टलों और ऐप्स तक त्वरित पहुंच के लिए टैब प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, डीडब्ल्यूसीडी ने डीसीपीसीआर के साथ संयुक्त रूप से दिसंबर 2021 में एनआईसीएसआई के साथ एक किशोर न्याय एमआईएस विकसित करने के लिए एक समझौता किया है ताकि सीडब्ल्यूसी के समक्ष लाए गए और सीसीआई में रखे गए प्रत्येक बच्चे की प्रगति को ट्रैक और मॉनिटर किया जा सके जो पारदर्शिता और गोपनीयता को बनाए रखने में सक्षम होगा और साथ ही उचित हस्तक्षेप के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की सुविधा प्रदान करेगा। तथ्य यह

है कि सीडब्ल्यूसी के आदेश आवश्यकतानुसार सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखे जाते हैं।

3.4 सीडब्ल्यूसी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 का नियम 89 सीडब्ल्यूसी के कर्मचारियों को नियुक्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर अनिवार्य प्रशिक्षण (न्यूनतम 15 दिनों की अवधि के लिए) निर्धारित करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान कर्मचारियों को अपेक्षित अनिवार्य प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। किसी औपचारिक प्रशिक्षण के अभाव में, सीडब्ल्यूसी के कर्मचारी सांविधिक ज़िम्मेदारीयों और विशिष्ट काम की आवश्यकताओं के मामले में पूरी तरह से सुसज्जित नहीं थे।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि बाल कल्याण समिति में नियुक्त अध्यक्ष और सदस्यों को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समिति का कामकाज बाधित न हो। सीडब्ल्यूसी सदस्यों को जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक दिए गए प्रशिक्षणों का विवरण भी दिया गया। हालांकि, नमूना जांच किए गए सीडब्ल्यूसी द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान की गई सूचना के अनुसार, कर्मचारियों को अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

3.5 बच्चों और परिवारों को प्रतीक्षालय उपलब्ध नहीं कराया गया

सीडब्ल्यूसी की स्थापना के लिए आईसीपीएस दिशानिर्देशों के अनुसार, बच्चों और परिवारों को एक प्रतीक्षालय प्रदान किया जाना था। यह देखा गया कि चार चयनित सीडब्ल्यूसी में से केवल दो में प्रतीक्षालय उपलब्ध था, अर्थात् सीडब्ल्यूसी-III, किंग्सवे कैंप और सीडब्ल्यूसी-V, दिलशाद गार्डन।

इस प्रकार सीडब्ल्यूसी, जिनकी कठिन परिस्थितियों में बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण में बड़ी भूमिका होती है, वे इस तरह से काम नहीं कर रहे थे जिससे उनकी क्षमता और इरादे में विश्वास पैदा हो।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि सभी सीडब्ल्यूसी में बच्चों, परिवारों और आगंतुकों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र के रूप में पर्याप्त जगह है और उनका उचित रखरखाव किया जाता है। हालांकि, जवाब चार चयनित सीडब्ल्यूसी में से दो द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुरूप नहीं है, जिसने पुष्टि की थी कि शेष दो चयनित सीडब्ल्यूसी अर्थात् सीडब्ल्यूसी-II (दक्षिण) और सीडब्ल्यूसी-X (उत्तर) में कोई अलग से प्रतीक्षालय नहीं था।

3.6 सीडब्ल्यूसी को काउंसलर सेवाएं प्रदान नहीं की गई

आईसीपीएस के दिशानिर्देश यह प्रावधान करते हैं कि जिस बाल गृह में सीडब्ल्यूसी अपनी कार्यवाही कर रही है, वह उन दिनों में, सीडब्ल्यूसी को काउंसलर का सहयोग प्रदान करेगा जब बैठक हो रही हो। ऐसे काउंसलर बच्चे की मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर विचार करते हुए, बच्चे के लिए कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका तय करने में सीडब्ल्यूसी की मदद कर सकते हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि चार में से दो[6] सीडब्ल्यूसी को काउंसलर की सेवा प्रदान नहीं की गई थी जिससे बच्चे अपनी जरूरतों के संबंध में पेशेवर मूल्यांकन से वंचित रहे थे।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि डीएसएलएसए और डीसीपीयू स्टाफ के काउंसलर पहले से ही प्रत्येक सीडब्ल्यूसी में तैनात हैं। हालांकि, लेखापरीक्षा को कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीडब्ल्यूसी ने काउंसलर की अनुपलब्धता की पुष्टि की थी।

[6] सीडब्ल्यूसी-II (दक्षिण), लाजपतनगर और सीडब्ल्यूसी-III (केंद्रीय), किंग्सवे कैंप

अध्याय 4

बाल देखभाल संस्थान की कार्यप्रणाली

सीसीआई बिना पंजीकरण के काम कर रहे थे, डीएससीपीएस द्वारा सीसीआई के पंजीकरण और नवीनीकरण एवं अपंजीकृत सीसीआई के प्रति कार्रवाई करने में भी अनुचित विलम्ब हुआ, जिससे उन्हें आवश्यक सुविधाओं के बिना कार्य करने की इज़ाजत दी गई। सरकार द्वारा संचालित सीसीआई में कर्मचारियों की 76 प्रतिशत तक की भारी कमी थी जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने की उनकी क्षमता से गंभीर रूप से समझौता हुआ। सीसीआई अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं, अपर्याप्त पोषण, बच्चों को प्रदान किए जाने वाले कपड़े, बिस्तर और प्रसाधन सामग्री, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं एवं बच्चों को पर्याप्त औपचारिक शिक्षा की महत्वपूर्ण कमी से भी ग्रस्त थी क्योंकि केवल 54 *प्रतिशत* औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इसी तरह की कमियां आफ्टर केयर होम्स में भी देखी गईं, जहां उन बच्चों की दो और वर्षों के लिए देखभाल की जाती है, जिन्हें 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सीसीआई छोड़ना पड़ता है ताकि समाज में उनका पुनः एकीकरण हो सके।

4.1 सीसीआई का पंजीकरण

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 41 में प्रावधान है कि देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के आवास के लिए राज्य सरकार या स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सभी संस्थान अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर, जैसा कि निर्धारित किया जाए इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होंगे। इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत वैध पंजीकरण वाले संस्थानों को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत माना जाएगा।

धारा 42 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति, या देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को रखने वाली संस्था का प्रभारी व्यक्ति, जो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 41 की उप-धारा (1) के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है उसे एक वर्ष तक के कारावास या कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

डीएससीपीएस यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार था कि ऐसे सभी संस्थान किशोर न्याय (किशोर न्याय) अधिनियम, 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के

अनुसार पंजीकृत थे। यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि इन संस्थानों के पास उन्हें सौंपे गए बच्चों की वांछित मानकों पर देखभाल के लिए बुनियादी ढांचा, स्टाफ और अन्य संसाधन हों।

मार्च 2021 तक, 77 सीसीआई थे, जिनमें से केवल 68 सीसीआई के पास वैध पंजीकरण था। चयनित सीसीआई के अभिलेखों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मुद्दों को देखा:

4.1.1 सीसीआई द्वारा पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में विलम्ब के प्रति कार्रवाई करने में विफलता

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 21(8 और 9) के अनुसार, सभी संस्थान पंजीकरण की अवधि समाप्त होने से तीन महीने पहले पंजीकरण के नवीनीकरण की मांग करने के लिए बाध्य होंगे और पंजीकरण के नवीनीकरण की मांग करने में विफल रहने की स्थिति में, ऐसी संस्थान एक पंजीकृत संस्था नहीं रहेगी और राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित की जाएगी या उसमें रखे गए बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड या सीडब्ल्यूसी के आदेश से किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जांच किए गए 16 में से 14 सीसीआई ने 18-120 दिनों की विलम्ब के साथ पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था, हालांकि, डीडब्ल्यूसीडी द्वारा किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार इन गैर सरकारी संगठनों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

4.1.2 डीडब्ल्यूसीडी द्वारा सीसीआई के पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने में देरी

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 21(10) में प्रावधान है कि किसी संस्था के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर निपटारा किया जाएगा। पूर्वोक्त नियम 21(4) में यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार, जहां पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाली संस्थान में जिनमें पर्याप्त सुविधाएं मौजूद नहीं है, वहां अनंतिम पंजीकरण नहीं दे सकती है और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की समाप्ति से पहले एक आदेश जारी करेगी कि संस्थान अनंतिम पंजीकरण के लिए भी हकदार नहीं है। लेखापरीक्षा ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे सीसीआई के पंजीकरण आवेदनों की नमूना जांच की, जिसमें पता चला कि पंजीकरण/नवीनीकरण के आवेदनों को डीडब्ल्यूसीडी द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों की निर्धारित अवधि के प्रति 121 से 840 दिनों की विलम्ब के बाद निपटाया गया था।

विलम्ब कई कारणों से हुआ, जिनमें प्रशासनिक कारण जैसे अपूर्ण प्रस्ताव, अपूर्ण निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण समिति की सिफारिशों की अनुपलब्धता और पंजीकरण की शक्ति के प्रत्यायोजन के बारे में स्पष्टता की कमी आदि शामिल थे।

वैध पंजीकरण न होने के बावजूद, ये सीसीआई काम कर रहे थे और सरकार इन सीसीआई में ज़रूरतमंद बच्चों को भेज भी रही थी।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि पंजीकरण के संबंध में स्पष्टता नहीं थी क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 41 में प्रावधान है कि पंजीकरण प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं जबकि धारा 106 में प्रावधान है कि सीसीआई के पंजीकरण के मामले को एससीपीएस द्वारा देखा जाएगा। रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम में संशोधन और सक्षम अधिकारियों की अधिसूचना के बाद, सीसीआई के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए अब सभी प्रस्तावों को माननीय उपराज्यपाल को उनकी सहमति के लिए भेजा जा रहा है। तथ्य यह है कि पंजीकरण/नवीकरण नहीं किया गया था।

सीसीआई के पंजीकरण में विलम्ब और अपंजीकृत सीसीआई के कामकाज में विलम्ब के विशिष्ट मामले नीचे दिए गए हैं:

एक एनजीओ ने अपने पंजीकरण की समाप्ति के चार साल से अधिक समय के बाद, 18 जून 2019 को नए पंजीकरण के लिए आवेदन किया। निरीक्षण के बाद (अक्टूबर 2019), सीडब्ल्यूसी और डीसीपीयू ने अस्वच्छता की स्थिति के कारण आवेदन को अस्वीकार करने की अनुशंसा की। हालांकि, डीएससीपीएस ने अभी तक अस्वीकृति का आदेश जारी नहीं किया था (अगस्त 2021 तक)। इसमें यह जोखिम शामिल है कि अस्वच्छ आवास होने के बावजूद गैर-सरकारी संगठन सीसीआई चला रहा है।

डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि सीडब्ल्यूसी द्वारा बच्चों का स्थानन रोक दिया गया था और 2016 से इस स्थान पर कोई बच्चा नहीं रखा गया था या निवास नहीं कर रहा था। हालांकि, डीडब्ल्यूसीडी ने पंजीकरण/नवीकरण के आवेदन को दो साल बाद भी अस्वीकार नहीं किया।

डीसीपीयू-III (दक्षिण) ने एक अपंजीकृत सीसीआई[7] की पहचान की (नवंबर 2015), जिसमें 18 बच्चे रह रहे थे। सीसीआई को निर्देश दिया गया था (मई 2016) कि इन बच्चों को संबंधित सीडब्ल्यूसी को पेश किया जाए। हालांकि, केवल छः बच्चों को ही सीडब्ल्यूसी के समक्ष लाया गया था, और उन्हें अगले

[7] लड़कों के लिए प्रयास चिल्ड्रेन होम, महरौली

आदेश तक सीसीआई में रहने की अनुमति दी गई थी। अंत में, डीएससीपीएस ने मई 2019 में सीसीआई के पंजीकरण आवेदन को खारिज कर दिया (मई 2019), यानी सीसीआई की पहचान के तीन साल से अधिक समय के बाद। इसके अलावा डीएससीपीएस द्वारा विलंबित निर्णय के कारण बच्चे ऐसी सीसीआई में जो पंजीकरण के लिए अपात्र था, बने रहे।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि सीसीआई में बच्चों का स्थानन रोक दिया गया था परन्तु संगठन ने माननीय उच्च न्यायालय से संपर्क किया और एक याचिका दायर की जो अभी भी निर्णय के लिए लंबित है। हालांकि, तथ्य यह है कि डीडब्ल्यूसीडी ने सीसीआई की पहचान करने के तीन वर्ष से अधिक समय के बाद ही पंजीकरण आवेदन को अस्वीकार किया।

इस प्रकार डीडब्ल्यूसीडी ने पंजीकरण आवेदन को अस्वीकार करने में समय पर कार्रवाई नहीं की**,** जिसे आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर निपटाया जाना था। इससे अपात्र गैर सरकारी संगठनों ने उपयुक्त शर्तों के अभाव के बावजूद काम जारी रखा।

अनुशंसा सं. 6: किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर सीसीआई के पंजीकरण/नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा करें।

4.1.3 सरकार द्वारा संचालित सीसीआई के पंजीकरण की अधिसूचना में डीएससीपीएस द्वारा विलम्ब

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार, डीएससीपीएस को जनवरी 2016 से छः महीने की अवधि के भीतर सरकारी सीसीआई का पंजीकरण/नवीनीकरण करना था, परन्तु डीएससीपीएस ने 13 अक्टूबर 2020 को, यानी 51 महीने की विलम्ब के बाद 26 सरकारी सीसीआई के पंजीकरण की अधिसूचना जारी की थी।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 41(1) के प्रावधान में कहा गया है कि 2015 के अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत वैध पंजीकरण वाले संस्थानों को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत माना जाएगा और सरकार द्वारा संचालित सभी सीसीआई के पास किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के शुरू होने के समय वैध पंजीकरण था। हालांकि, जवाब सीसीआई के पंजीकरण के नवीनीकरण में हुई विलम्ब के बारे में मौन है जो कि किशोर न्याय एक्ट, 2015 लागू होने के छः महीने के भीतर किया जाना था।

सीसीआई के पंजीकरण/नवीनीकरण में विलम्ब और पर्याप्त सुविधाएं/आतिथ्य सत्कार की स्थिति न रखने वाले सीसीआई के प्रति कार्रवाई करने में देरी, ज़रूरतमंद बच्चों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के प्रति डीएससीपीएस की असंवेदनशीलता को दर्शाता है क्योंकि इसने ऐसे संस्थानों को अनावश्यक आवश्यकता के कार्य की अनुमति दी और बच्चों को अनुपयुक्त परिस्थितियों मे छोड़ दिया।

4.2 सीसीआई - बाल गृह और ओपन शेल्टर की कार्यप्रणाली

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 बाल गृहों और ओपन शेल्टर में रहने वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। संयुक्त भौतिक सत्यापन और अभिलेखों की जांच के आधार पर नमूना-जांच किए गए 11 सीसीआई से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है:

4.2.1 सीसीआई में स्टाफ की कमी

सीसीआई का अधीक्षक अपने दिन-प्रतिदिन के संचालन में एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। वह (i) सभी संस्थागत गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन और समन्वय (ii) सुनिश्चित करना कि बच्चों को निर्धारित गुणवत्ता और मात्रा में भोजन तथा बच्चों की योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने आदि के लिए ज़िम्मेदार है। लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन[8] सरकारी सीसीआई के अधीक्षकों के पास दो से चार अन्य सीसीआई का अतिरिक्त प्रभार था। एक ही व्यक्ति को कई सीसीआई चलाने की ज़िम्मेदारी देना इन सीसीआई के सुचारू और उचित कामकाज के लिए अच्छा नहीं है।

सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित 11 बाल गृहों और ओपन शेल्टर में से 10[9] में कर्मचारियों की कमी की स्थिति **परिशिष्ट VI** में दी गई है।

डेटा से पता चला कि सरकार द्वारा संचालित तीन सीसीआई अर्थात् सीएचजी-I, निर्मल छाया (14/25), सीएचजी-II, निर्मल छाया (10/25) और वीसीएच-I, लाजपत नगर (06/25) और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित तीन सीसीआई अर्थात् अपना घर, पहाड़गंज (13/25), एसपीआईडी, श्रद्धानंद मार्ग (16/25) और आसरा एसबीटी, नजफगढ़ (15/25), स्वीकृत संख्या की तुलना में, पर्याप्त कर्मचारियों की कमी के साथ संचालित हो रहा था।

---

[8] सीएचजी- I, II, III और IV और फोस्टर केयर एडॉप्शन एजेंसी, निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स, हरि नगर; सीएचबी-I और II एवं आफ्टर केयर होम, अलीपुर; और वीसीएच- I, II और III, लाजपत नगर

[9] सीएचजी-IV, निर्मल छाया ने स्टाफ की स्थिति नहीं बताई

सरकार द्वारा संचालित सीसीआई में 76 प्रतिशत तक कर्मचारियों की भारी कमी, ज़रूरतमंद बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा दी गई कम प्राथमिकता का संकेत करती है।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 26(1) में प्रावधान है कि सीसीआई के कर्मियों की संख्या, ड्यूटी, पदों, कार्य के घंटे बच्चों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। 100 बच्चों की क्षमता वाले संस्थान के लिए स्टाफिंग पैटर्न का सुझाव सांकेतिक है। सीसीआई में तैनात कर्मचारी बच्चों की श्रेणी और सीसीआई की क्षमता के लिहाज से पर्याप्त हैं।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कर्मचारी किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और आईसीपीएस दिशानिर्देशों के निर्धारित मानदंडों के अनुसार तैनात नहीं हैं।

4.2.2 अपर्याप्त भौतिक अवसंरचना

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 का नियम 29 भौतिक बुनियादी ढांचे के संदर्भ में सीसीआई द्वारा बच्चों को प्रदान की जाने वाली देखभाल के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करता है। 50 बच्चों वाले प्रत्येक संस्थान में भवन या आवास के लिए सुझाए गए मानदंड निम्नानुसार हैं:

(I) 25 बच्चों के लिए 2 छात्रावास-प्रत्येक 1000 वर्ग फुट (II) 25 बच्चों के लिए 2 क्लास रूम-300 वर्ग फुट (III) 10 बच्चों के लिए रोगी का कमरा/प्राथमिक चिकित्सा कक्ष-75 वर्ग फुट (IV) रसोई घर 250 वर्ग फीट (V) भोजन कक्ष-800 वर्ग फुट (VI) स्टोर -250 वर्ग फुट (VII) मनोरंजन कक्ष-300 वर्ग फुट (VIII) पुस्तकालय-500 वर्ग फुट (IX) 5 बाथरूम- प्रत्येक 25 वर्ग फुट (X) 8 शौचालय-25 वर्ग फुट (XI) परामर्श और मार्गदर्शन कक्ष-120 वर्ग फुट (XII) कार्यशाला 15 बच्चों के लिए -1125 वर्ग फुट (XIII) खेल का मैदान-कुल संख्या के अनुसार पर्याप्त क्षेत्र।

बुनियादी ढांचे के संबंध में सीसीआई (सरकार और एनजीओ दोनों द्वारा संचालित) की स्थिति **तालिका 4.1** में दर्शाई गई है।

तालिका 4.1: सीसीआई में अवसंरचना की उपलब्धता

सीसीआई का नाम	सरकार द्‌वारा संचालित सीसीआई						गैर-सरकारी संगठनों द्‌वारा संचालित सीसीआई				
	सीएचबी-I, (फुलवारी) अलीपुर (एसएस- 200 बच्चे)	सीएचबी-II (आशियाना) अलीपुर (एसएस- 100 बच्चे)	सीएचजी-I, निर्मल छाया (एसएस- 100 बच्चे)	सीएचजी-II, निर्मल छाया (एसएस- 100 बच्चे)	सीएचजी-IV, निर्मल छाया (एसएस- 20 बच्चे)	वीसीएच-I, लाजपत नगर (एसएस - 70 बच्चे)	प्रयास एनजीओ, जहांगीर पुरी (एसएस- 100 बच्चे)	डीएमआरसी, एसबीटी तीसहजारी (एसएस- 1 20	अपना घर ओपन शेल्टर, पहाड़गंज (एसएस- 25 बच्चे)	एसपीआईडी, श्रद्धानंद मार्ग (एसएस- 25 बच्चे)	आसरा, एसबीटी नजफगढ़ (एसएस- 50 बच्चे)
छात्रावास	पर्याप्त	पर्याप्त	कम	कम	कम	कम	पर्याप्त	कम	पर्याप्त	कम	कम
क्लास रूम	कम	कम	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	उपलब्ध नहीं है	कम	कम	कम	कम	कम
कार्यशाला	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	कम	कम	पर्याप्त	कम	कम	कम	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	कम
प्रसाधन	पर्याप्त	पर्याप्त	कम	कम	पर्याप्त	कम	पर्याप्त	कम	कम	कम	कम
स्नानघर	पर्याप्त	पर्याप्त	कम	कम	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	कम	कम	कम	कम
पुस्तकालय	कम	कम	कम	कम	पर्याप्त	कम	कम	कम	उपलब्ध नहीं है	कम	कम
खेल का मैदान	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
रोगी का कमरा	कम	कम	कम	कम	पर्याप्त	कम	कम	कम	कम	उपलब्ध नहीं है	कम
भोजन कक्ष	कम	कम	कम	कम	पर्याप्त	पर्याप्त	कम	कम	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	कम
रसोईघर	कम	कम	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	कम	कम	उपलब्ध नहीं है	कम	कम
स्टोर	कम	कम	कम	कम	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	कम	कम	कम	कम
मनोरंजन	कम	कम	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	कम	पर्याप्त	उपलब्ध नहीं है	कम	पर्याप्त
परामर्श कक्ष	कम	कम	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	कम	कम	कम	कम	कम	कम

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि अधिकांश सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्‌वारा संचालित सीसीआई में बुनियादी सुविधाएं जैसे छात्रावास, क्लास रूम, कार्यशाला, पुस्तकालय, रोगी का कमरा, भोजन कक्ष और स्टोर अपेक्षित विनिर्देशों या संख्या को पूरा नहीं कर रहे थे। सरकार द्‌वारा संचालित सीसीआई में कई ढांचागत कमियां पाई गईं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

- **छात्रावास, भोजन कक्ष और स्टोर:** नमूना जांच किए गए सभी छ: सीसीआई में छात्रावास, भोजन कक्ष और स्टोर थे लेकिन चार सीसीआई अपेक्षित विनिर्देशों को पूरा नहीं करते थे।
- **कार्यशाला, पुस्तकालय और रोगी का कमरा:** पांच सीसीआई ने अपेक्षित विनिर्देशों को पूरा नहीं किया।
- **क्लास रूम, परामर्श कक्ष और प्रसाधन:** तीन सीसीआई अपेक्षित विनिर्देशों को पूरा नहीं करते थे।

अवसंरचनात्मक सुविधाओं की अपर्याप्तता के अलावा, लेखापरीक्षा ने संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान कुछ सीसीआई में उपलब्ध सुविधाओं की खराब स्थिति देखी। निम्नलिखित चित्रों से स्पष्ट अवसंरचनात्मक कमियों की गंभीरता, लंबी अवधि तक उचित रखरखाव की कमी और इन सीसीआई को रहने योग्य बनाने के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों की ओर से उपेक्षा का संकेत मिला।

उदाहरणात्मक मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

- सीएचबी-I में, लेखापरीक्षा ने छत में दरारें, दीवारों में रिसाव, टूटे और गंदे शौचालय, पर्याप्त सुरक्षित पेयजल की कमी और पुराने एवं नष्ट की गई वस्तुओं को छात्रावास में एकत्रित देखा।

चित्र 1: छात्रावास, सीएचबी-I में गिरता हुआ छत का प्लास्टर

चित्र 2: सीएचबी-I के शौचालयों में टूटा हुआ कमोड

- डीएमआरसी चिल्ड्रन होम, तीस हजारी में शौचालय अस्वच्छ स्थिति में पाए गए क्योंकि सिस्टर्न काम नहीं कर रहा था।

चित्र 3: सीएचबी-I में रसोई की दीवारों पर रिसाव

चित्र 4: डीएमआरसी सीसीआई के शौचालयों में टूटा हुआ सिस्टर्न

- अपना घर ओपन शेल्टर के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 28 बच्चों के लिए केवल पांच बेंच (कुल 10 बच्चों के बैठने की क्षमता के साथ) उपलब्ध थे। परिणामस्वरूप, बच्चे छात्रावास के फर्श पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर थे।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 29 के तहत परिकल्पित सीसीआई में भौतिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है और उप नियम (6) के तहत प्रदान किए गए मानदंड सुझाए गए/संकेतक हैं क्योंकि यह 50 बच्चों की आवास क्षमता के साथ सीसीआई के लिए लागू है। सभी सरकारी सीसीआई के पास पर्याप्त भौतिक अवसंरचना है और उक्त नियम के तहत की गई परिकल्पना की तुलना में अधिक जगह है। आगे यह भी कहा गया कि चूंकि भवन का रखरखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, इसलिए कभी-कभी नवीनीकरण/मरम्मत में काफी अधिक समय लगता है लेकिन बच्चों को परिसर के भीतर वैकल्पिक सुविधाओं में अच्छी तरह से ठहराया जाता है। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित अधिकांश नमूना जांच किए गए सीसीआई अपेक्षित विनिर्देशों को पूरा नहीं करते थे। इसके अलावा, ढांचागत कमियों की गंभीरता लंबी अवधि के लिए उचित रखरखाव की कमी को दर्शाती है।

4.2.3 बच्चों को दिया गया अपर्याप्त पोषण

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 33 में सीसीआई द्वारा पोषण और आहार पैमानों से संबंधित मानकों का अनुपालन के लिए निर्दिष्ट किया गया है। नमूना जांच किए गए 11 में से केवल छः गृहों/आश्रयों ने ही बच्चों को प्रदान किए जाने वाले पोषण के संबंध में अभिलेखों का अनुरक्षण किया था।

इन छः गृहों/आश्रयों[10] ने या तो आवश्यक वस्तुएँ (चिकन/अंडे, दही/बटर मिल्क, पनीर, अनाज, दाल/राजमा/चना आदि) बिल्कुल उपलब्ध नहीं कराईं या निर्धारित मात्रा से कम उपलब्ध कराईं।

नमूना जांच किए गए शेष पांच गृहों/आश्रयों में आहार वस्तुओं के अभिलेख/रजिस्टर के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि सभी आहार वस्तुओं की निर्धारित मात्रा प्रदान की गई थी या नहीं।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि सरकार द्वारा संचालित सभी सीसीआई किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के तहत प्रावधान किए गए मानदंडों का पालन करते हैं। हालांकि, सीएचबी-I और सीएचबी-II, अलीपुर ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और जवाब दिया कि वस्तुओं की मात्रा का निर्धारित मानदंडों के अनुसार उपभोग किया जाएगा और इसे भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया। डीडब्ल्यूसीडी का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि उपभोग की गई आहार वस्तुओं की मात्रा दर्शाती है कि वस्तुएं निर्धारित

[10] सरकार द्वारा संचालित चार सीसीआई अर्थात् सीएचजी-I और सीएचजी-II, निर्मल छाया, सीएचबी-I और सीएचबी-II, अलीपुर और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित दो सीसीआई अर्थात् एसबीटी आसरा, नजफगढ़ और प्रयास सीएचबी, जहांगीर पुरी

मानदंडों के अनुसार उपलब्ध नहीं कराई गई थीं और लेखापरीक्षित इकाईयों ने भी लेखापरीक्षा तथ्यों को स्वीकार किया। इसके अलावा, डीडब्ल्यूसीडी अपने जवाब में गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सीसीआई पर मौन है।

4.2.4 कपड़े, बिस्तर और प्रसाधन सामग्री के लिए अपर्याप्त प्रावधान

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 30 में सीसीआई द्वारा अनुपालन हेतु कपड़े, बिस्तर और प्रसाधन सामग्री की आवश्यक वस्तुएँ निर्दिष्ट की गई है। नमूना जांच किए गए 11 गृहों/आश्रयों में से नौ ने लेखापरीक्षा को 2018-21 की अवधि के प्रासंगिक अभिलेख उपलब्ध कराए।

इन नौ गृहों/आश्रयों में आवश्यक वस्तुएं (जैसे कॉटन दरी, पिलो, पिलो कवर, मच्छरदानी, गद्दा, कॉटन बेडशीट, कॉटन कंबल/खेस, कॉटन भरी रजाई, तौलिये, शर्ट, पैंट, नाइट वियर, शॉर्ट्स, अंडरगारमेंट्स, चप्पल, जूते, रूमाल, मोज़े आदि) या तो बच्चों को उपलब्ध नहीं कराए गए या अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए (विवरण **परिशिष्ट VII** में है)।

चार[11] गृहों/आश्रयों में प्रसाधन सामग्री के प्रावधान के संबंध में, आवश्यक वस्तुओं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, टूथ पेस्ट, कंघी, शैम्पू, हेयर क्लिप, मॉइस्चराइजर आदि या तो प्रदान नहीं किए गए थे या निर्धारित मानकों के प्रति कम मात्रा में उपलब्ध कराए गए थे।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि सीसीआई की निगरानी सीधे डीसीपीयू, ज़िला निरीक्षण समितियों और दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा की जा रही है एवं सरकार द्वारा संचालित सभी संस्थान निर्धारित मानदंडों का पालन करते हैं और जिन गैर-सरकारी संगठनों ने संसाधन की कमी को चिह्नित किया था उन्हें दिल्ली बाल कल्याण कोष या स्वैच्छिक दान के माध्यम से सामग्री की आपूर्ति करके आवश्यक सहायता प्रदान की गई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि उपभोग किए गए कपड़े और बिस्तरों की मात्रा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रदान नहीं किए गए और लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सीएचबी-I और सीएचबी-II, अलीपुर द्वारा अपने जवाब में स्वीकार किया गया।

4.2.5 बच्चों के लिए अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 का नियम 34 अन्य बातों के साथ-साथ सीसीआई में प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवाओं/सुविधाओं को निर्दिष्ट करता है। इन सेवाओं/सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

---

[11] सीएचजी-I, निर्मल छाया; प्रयास एनजीओ, जहांगीर पुरी; डीएमआरसी, तिशाजरी; अपना घर ओपन शेल्टर, पहाड़गंज; आसरा, एसबीटी नजफगढ़, असरा एसबीटी नजफगढ़

क्र.सं.	आवश्यकता	वास्तविक स्थिति
1.	सभी बाल देखभाल संस्थानों में एक नर्स या एक पैरामेडिक चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगे।	नमूना-जांच किए गए 11 गृहों/आश्रयों में से 10 में नर्स केवल 8 घंटे की ड्यूटी के लिए उपलब्ध थी। शेष एक (आसरा चिल्ड्रन होम) में नर्स उपलब्ध नहीं थी।
2.	मासिक चिकित्सा जांच के आधार पर प्रत्येक बच्चे का मेडिकल रिकॉर्ड बनाए रखें और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करें।	नमूना-जांच किए गए 11 गृहों/आश्रयों में से दो अर्थात् सीएचबी-I और सीएचबी-II, अलीपुर में मासिक चिकित्सा जांच का अभिलेख नहीं रखा गया।
3.	दांतों की जांच, आंखों की जांच एवं त्वचा की समस्याओं के लिए जांच और बच्चों के इलाज सहित त्रैमासिक चिकित्सा जांच की सुविधाएं।	11 नमूना जांच में से 7 अर्थात् सीएचबी-I और सीएचबी-II, अलीपुर, वीसीएच-I लाजपत नगर में जांच सीएचजी-II, निर्मल छाया, एसबीटी-डीएमआरसी तीसहजारी, प्रयास चिल्ड्रेन होम फॉर बॉयज जहांगीर पुरी और अपना घर ओपन शेल्टर पहाड़गंज में बच्चों के उपचार के लिए दंत चिकित्सा जांच, आंखों की जांच और त्वचा की समस्याओं के लिए स्क्रीनिंग सहित त्रैमासिक चिकित्सा जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
4.	बच्चों के टीकाकरण के लिए हर संस्थान को आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए।	नमूना-जांच किए गए आठ गृहों/आश्रयों में से दो सीसीआई, अर्थात् बालकों के लिए बाल गृह-I, अलीपुर और बालकों के लिए बाल गृह-II, अलीपुर में टीकाकरण की कोई व्यवस्था नहीं की गई।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि सीएचबी-I में एक बच्चे के पूरे शरीर पर सफेद धब्बे हो गए थे। बच्चे के मेडिकल रिकॉर्ड से पता चला कि जुलाई 2019 से गृह में एक अंशकालिक डॉक्टर द्वारा उसकी जांच की गई थी, लेकिन उसे उचित उपचार के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास कभी नहीं भेजा गया।

इस प्रकार, सीसीआई किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के तहत अपेक्षित सीमा तक बच्चों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहे थे।

डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि सरकार द्वारा संचालित सभी सीसीआई में नियमित आधार पर बच्चों के पास विज़िट करने और देखभाल के लिए डॉक्टर नियुक्त है और संस्थान रेफरल और विशेष चिकित्सा सेवाओं के लिए नजदीकी अस्पतालों के साथ संपर्क कर रहे हैं।

डीडब्ल्यूसीडी ने नर्स या पैरामेडिक, मेडिकल रिकॉर्ड और टीकाकरण के अभाव में विशिष्ट जवाब नहीं दिया और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सीसीआई पर मौन था। इसके अलावा, जवाब के साथ सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

4.2.6 बच्चों को औपचारिक शिक्षा का महत्वपूर्ण अभाव

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 36 में प्रावधान है कि प्रत्येक संस्थान सभी बच्चों को संस्थान के अंदर या बाहर आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इन गृहों/केन्द्रों में केवल 54 प्रतिशत बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान की गई थी। कुल मिलाकर 542 बच्चों में से 18 बच्चों को कोई शिक्षा, औपचारिक या गैर-औपचारिक, प्रदान नहीं की गई, वहीं 219 बच्चों को केवल गैर-औपचारिक शिक्षा प्रदान की गई। 11 बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया।

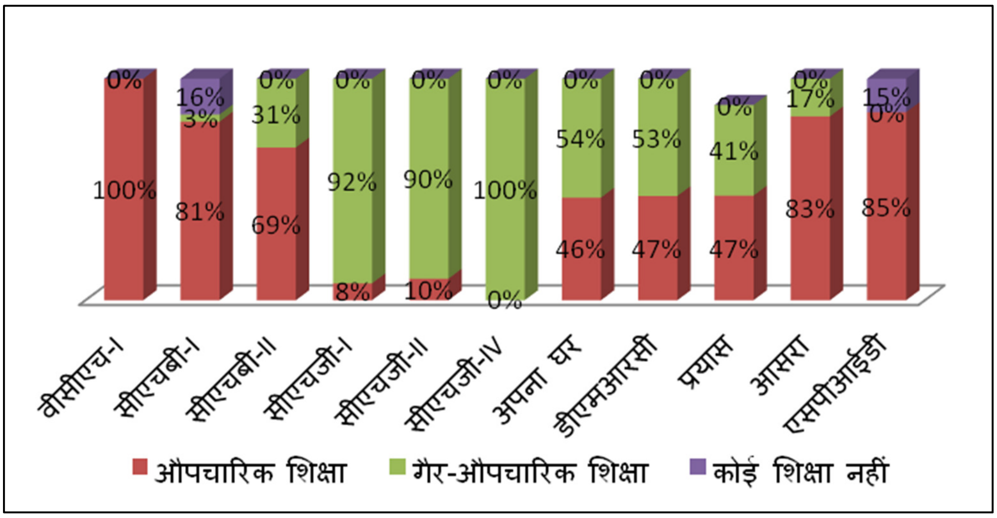

शिक्षा बच्चों को आत्मनिर्भर बनने में और उन्हें समाज में एकीकृत करने में मदद करती है। बड़ी संख्या में बच्चों की औपचारिक शिक्षा के अभाव में उन्हें दी जा रही देखभाल के स्तर से समझौता करना पड़ा।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि औपचारिक स्कूली शिक्षा तभी संभव हो पाती है जब बच्चे को दीर्घकालिक देखभाल के लिए रखा जाता है, जिसके लिए आस-पास के स्कूलों में प्रवेश की सुविधा होती है। इसके अलावा, डीडब्ल्यूसीडी ने सरकार द्वारा संचालित सभी सीसीआई में अतिथि शिक्षकों को नियुक्त किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को इन-हाउस क्लास रूम में भाग लेने और स्कूली शिक्षा जारी रखने का अवसर मिले। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन सभी सीसीआई में शिक्षक/अनुशिक्षक का पद रिक्त था और सरकार द्वारा संचालित सीसीआई में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में कोई सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। तथ्य यह रहा कि नमूना जांच किए गए सीसीआई में, औपचारिक शिक्षा में पर्याप्त प्रतिशतता (46 प्रतिशत) नामांकित नहीं थे।

4.2.7 असुरक्षित सुरक्षा तंत्र

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 67 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक बाल देखभाल संस्थान में पर्याप्त संख्या में स्कैनर और मेटल डिटेक्टर उपलब्ध कराए जाएँ। इसके अलावा, बच्चों को भागने से रोकने और सीसीआई में निषिद्ध वस्तुओं के प्रवेश को रोकने के लिए सभी सीसीआई में सीसीटीवी कैमरे और पर्याप्त तार की बाड़/चारदीवारी का प्रबंध किया जाना चाहिए।

नमूना-जांच किए गए 11 बाल गृहों/ओपन शेल्टर के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि इनमें से किसी भी संस्थान में स्कैनर और मेटल डिटेक्टर स्थापित नहीं थे।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि संस्थानों में स्कैनर और मेटल डिटेक्टर कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए उचित हैं और दूसरे सीसीआई में इसकी आवश्यकता नहीं है। जवाब तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 में प्रावधान है कि प्रत्येक सीसीआई में स्कैनर और मेटल डिटेक्टर उपलब्ध कराए जाएं।

इसके अलावा, सीएचबी-II, अलीपुर और प्रयास चिल्ड्रेन फॉर बॉयज, जहांगीर पुरी में चारों ओर से उचित चारदीवारी/ग्रिल का अभाव था। अपना घर ओपन शेल्टर में, सीडब्ल्यूसी ने सीसीटीवी कैमरों की अनुपलब्धता और छत पर अपर्याप्त तार की बाड़ देखी थी (जनवरी 2021)।

बाल गृहों/ओपन शेल्टर से बच्चों के भाग जाने का जोखिम अधिक बना रहता है। अप्रैल 2018 से मार्च 2021 के दौरान, पांच सीसीआई[12] से 36 बच्चे भाग गए, जिनमें से केवल 13 का पता लग सका और उन्हें वापस लाया गया।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि सभी सीसीआई में बेहतर निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं। हालांकि, डीडब्ल्यूसीडी ने इस संबंध में सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए और चारदीवारी/ग्रिल की कमी पर मौन रहा जबकि अपना घर ओपन शेल्टर के अधीक्षक ने कहा (जुलाई 2021) कि सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा और बाड़ लगाने का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। अधीक्षक (सीएचबी-II, अलीपुर) ने भी कहा (जून 2021) कि जल्द से जल्द चारदीवारी की मरम्मत की जाएगी।

एक बार जब कोई बच्चा सरकार की देखरेख में लाया जाता है, तो वह सरकार की ज़िम्मेदारी बन जाता है। सीसीआई में पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में उनके संरक्षण से

[12] लड़कों के लिए चिल्ड्रेन होम-1, अलीपुर, बीसीएच-1, लाजपत नगर, एसबीटी-डीएमआरसी, तिसहजारी, लड़कों के लिए प्रयास चिल्ड्रेन होम, जहांगीरपुरी, पहाड़गंज, आसरा, एसबीटी नजफगढ़

समझौता किया जा रहा है। इसके अलावा, सीसीआई से बच्चों के भाग जाने का मुद्दा इंगित करता है कि बच्चे इन सीसीआई में रहन-सहन से खुश नहीं थे।

4.2.8 बच्चों की अनाधिकृत अनुपस्थिति

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 69 (के (2)) में अन्य बातों के साथ-साथ उपबंध है कि बच्चे के बाल देखभाल संस्थान छोड़ने की स्थिति में, इसे पुलिस के संज्ञान में लाया जाए और विस्तृत प्रतिवेदन सीडब्ल्यूसी को गृह के प्रभारी द्वारा भेजी जाए।

चयनित ओपन शेल्टर श्रद्धानंद मार्ग के अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि 35 बच्चे सीडब्ल्यूसी की अनुमति के बिना नवंबर 2017 से ओपन शेल्टर से अनुपस्थित थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि शेल्टर द्वारा सीडब्ल्यूसी-IX, गोल मार्केट को सूचना दी गई थी कि इन बच्चों को उनकी माताएं ले गई थीं लेकिन सीडब्ल्यूसी से पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। हालांकि मार्च-जून 2021 के दौरान चार बच्चे वापस आ गए, 31 बच्चों को जुलाई 2021 तक वापस आना बाकी था।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि एसपीआईडी, श्रद्धानंद मार्ग संस्था जीबी रोड पर वेश्यालय में रहने वाली महिलाओं के बच्चों को सुविधा प्रदान करती है। यह एक ओपन शेल्टर है जहां बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार घूम-फिर सकते हैं और बिना किसी प्रतिबंध के निकल सकते हैं।

डीडब्ल्यूसीडी का तर्क सही नहीं है क्योंकि बच्चों को सीडब्ल्यूसी द्वारा आश्रय में रखा गया था इसलिए, बच्चों को आश्रय से स्वतंत्र करने के लिए सीडब्ल्यूसी से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए।

4.2.9 बच्चों के ब्यौरों का गलत दस्तावेजीकरण

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 77 में उपबंध है कि बाल गृहों/ओपन शेल्टर को अभिलेखों का रखरखाव करना चाहिए, जिसमें प्रवेश, छुट्टी और पुनर्वास की तारीख, बच्चे की तस्वीर आदि का उल्लेख हो।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चार बाल गृह/ओपन शेल्टर[13] मास्टर रजिस्टरों का ठीक से रखरखाव नहीं कर रहे थे क्योंकि कुछ बच्चों के फोटो नहीं लगाए गए थे, प्रवेश और बहाली की तारीख का उल्लेख नहीं किया गया और पता दर्ज नहीं किया गया। इसके अलावा, मास्टर रजिस्टर में माता-पिता/रिश्तेदारों को बहाल किए गए बच्चों के संबंध में कोई पता दर्ज नहीं किया गया था।

[13] अपना घर ओपन शेल्टर, पहाड़गंज; सीएचजी-I, निर्मल छाया, जेल रोड; लड़कों के लिए बाल गृह-I, अलीपुर और लड़कों के लिए बाल गृह- II, अलीपुर।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने भविष्य के अनुपालन के लिए अवलोकन को स्वीकार किया (दिसंबर 2021)। यद्यपि, यह एक गंभीर चूक है, ज़िम्मेदारी तय करने की जरूरत है।

4.3 सीसीआई - आफ्टर केयर होम (एसीएच) की कार्यप्रणाली

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 25 में प्रावधान है कि राज्य सरकार उन बच्चों के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेगी, जिन्हें 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सीसीआई छोड़ना होगा, उनको शिक्षा प्रदान करें, उन्हे रोजगारपरक कौशल और प्लेसमेंट प्रदान करने के साथ-साथ समाज में पुनर्स्थापन की सुविधा हेतु रहने के लिए स्थान प्रदान करना होगा। सीसीआई छोड़ने वाले किसी भी बच्चे को सीडब्ल्यूसी या किशोर न्याय बोर्ड या बाल न्यायालय के आदेश पर 21 वर्ष की आयु तक और असाधारण परिस्थितियों में, 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर दो और वर्षों के लिए आफ्टर केयर प्रदान किया जा सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, प्रत्येक 100 शिशुओं को उपरोक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए दो एसीएच (लड़कों के लिए एसीएच, अलीपुर और महिलाओं के लिए एसीएच, निर्मल छाया) हैं। लेखापरीक्षा ने अभिलेखों की जांच की और दोनों एसीएच का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया और निम्नलिखित अवलोकन किया:

4.3.1 स्टाफ की कमी

एसीएच को स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ा, क्योंकि एसीएच, अलीपुर और निर्मल छाया में क्रमशः 11 और 15 अधिकारियों की आवश्यकताओं के प्रति, इनमें से प्रत्येक एसीएच में केवल तीन अधिकारी तैनात थे, और वह भी सीसीआई के अतिरिक्त प्रभार के साथ। एसीएच, अलीपुर में प्रशिक्षक और चौकीदार के लिए स्वीकृत पद थे लेकिन एसीएच, निर्मल छाया में कार्यवाहक, चौकीदार, शिल्प प्रशिक्षक और शिक्षक के पद खाली थे।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि एसीएच में स्टाफिंग पैटर्न के लिए कोई निर्धारित मानदंड नहीं हैं। तथ्य यह है कि सरकार द्वारा स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या के प्रति एसीएच कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे थे।

4.3.2 अपर्याप्त भौतिक अवसंरचना

एसीएच, अलीपुर का भवन, पीडब्ल्यूडी द्वारा क्षतिग्रस्त और खतरनाक घोषित होने के कारण एसीएच सीएचबी-II, अलीपुर के परिसर में कार्य कर रहा था। परिणामस्वरूप, एसीएच के लिए अलग शयनगृह, शौचालय, स्नानघर, भोजन कक्ष, दफ्तर, पुस्तकालय, रोगी का कमरा आदि जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

एसीएच, निर्मल छाया आवश्यक बुनियादी सुविधाओं जैसे भोजन कक्ष, परामर्श कक्ष, पुस्तकालय, रोगी का कमरा, आदि के साथ अलग से सुसज्जित नहीं था और यह अपर्याप्त स्थान के साथ बाल निकेतन और बालिका गृह के सामान्य परिसर में काम कर रहा है।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि एसीएच में भौतिक बुनियादी ढांचे के लिए कोई निर्धारित मानदंड नहीं हैं। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 25 विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सीसीआई छोड़ने वाले बच्चों के रहने की सुविधा हेतु एसीएच में उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को आदेश देता है।

4.3.3 अपर्याप्त आहार पोषण

एसीएच, अलीपुर किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 में निर्धारित आहार मानदंडों का पालन कर रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि दूध, चिकन, और मक्खन दूध/दही, सूजी और रागी लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कभी प्रदान नहीं किए गए थे और आहार/पोषण की अधिकांश अन्य वस्तुएं जैसे कि दाल, राजमा, दूध, दही, पोहा आदि निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में वितरित किए गए थे। एसीएच, निर्मल छाया पुरानी नियमावली[14] के अनुसार आहार मानदंड प्रदान कर रहे थे। इसके कारण, बच्चों को कुछ आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, पनीर, अंडा, चिकन आदि प्रदान नहीं किया गया या निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में आहार सामग्री यानी आटा/चावल, दाल आदि प्राप्त कर रहे थे।

डीडब्ल्यूसीडी ने कोई विशेष टिप्पणी नहीं की।

4.3.4 कपड़ों और बिस्तरों के लिए अपर्याप्त प्रावधान

लेखापरीक्षा ने पाया कि एसीएच, अलीपुर ने किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के मानदंडों का पालन किया जबकि एसीएच, निर्मल छाया ने पुराने मैनुअल के तहत मानदंडों के अनुसार कपड़े, बिस्तर और प्रसाधन सामग्री प्रदान की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कपड़े और बिस्तर के सामान या तो बिल्कुल उपलब्ध नहीं कराए गए या निर्धारित स्तरों की तुलना में कम मात्रा में उपलब्ध कराए गए। एसीएच, निर्मल छाया में, बच्चों को आवश्यक सामान अर्थात् गद्दे, तकिया, कपास भरी रजाई, मच्छरदानी, सलवार कमीज और नाइटवियर प्रदान नहीं किए गए थे अथवा मॉडल किशोर न्याय नियम, 2016 के नियम 30 के तहत निर्धारित मानकों से कम मात्रा/पैमाने पर कपड़े, बिस्तर और प्रसाधन की वस्तुएं

[14] संस्थाओं और सेवा के पदाधिकारियों के लिए मैनुअल, 1989

प्राप्त कर रहे थे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि कंबल, स्कार्फ/चुन्नी, आधी आस्तीन का स्वेटर जैसी आवश्यक वस्तुएं कभी प्रदान नहीं की गईं और कुछ वस्तुएँ अर्थात् चप्पलें, रूमाल और कैनवास पुराने मैनुअल के अनुसार भी कम मात्रा में जारी किए गए।

डीडब्ल्यूसीडी ने कोई विशेष टिप्पणी नहीं की

4.3.5 एसीएच में बच्चों को आवश्यक खर्चों के लिए धन उपलब्ध नहीं कराया गया

किशोर न्याय मॉडल नियम, *2016* के नियम *25(6)* के अनुसार आफ्टर केयर प्रोग्राम में रखे गए बच्चों को उनके आवश्यक खर्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा धनराशि प्रदान की जाएगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि किसी भी बच्चे को धन उपलब्ध नहीं कराया गया था।

डीडब्ल्यूसीडी ने विशिष्ट जवाब प्रस्तुत नहीं किया, हालांकि, यह कहा गया कि उन्होंने अपनी शिक्षा, कौशल विकास, प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए और उनके प्रवास के दौरान रोजगार की सुविधा भी प्रदान की।

इस प्रकार, आफ्टर केयर कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन में अभाव के कारण बच्चों का संस्थान आधारित जीवन से समाज की मुख्यधारा में पुनःएकीकरण के लिए एक व्यवस्थित और विनियमित बदलाव (सीसीआई से निर्वहन) सुनिश्चित नहीं किया गया। यह डीडब्ल्यूसीडी की ज़िम्मेदारी है कि वह आईसीपीएस दिशानिर्देशों और किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के निर्धारित मानदंडों के अनुसार एसीएच में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करें।

अनुशंसा सं. 7: सीसीआई में पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराएं और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि वे बच्चों की देखभाल के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।

अनुशंसा सं. 8: सभी बाल देखभाल संस्थानों में भौतिक बुनियादी ढांचे, कपड़े और बिस्तर, पोषण और आहार तथा शिक्षा के मामले में देखभाल के न्यूनतम मानकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें और उनमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित करें।

अध्याय 5

निगरानी

योजना के कार्यान्वयन की निगरानी में कई तरह की कमियां थी। डीसीपीयू को बाल संरक्षण गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा के लिए हितधारकों के साथ त्रैमासिक बैठकें आयोजित करनी थीं लेकिन ऐसी बैठकें या तो आयोजित नहीं की गईं या समय अंतराल के साथ आयोजित की गई। डीसीपीयू ने भी आवश्यकतानुसार सीसीआई का निरीक्षण नहीं किया और जहां निरीक्षण किए गए थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई कि क्या इंगित की गई कमियों को दूर किया गया था। योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई प्रगति प्रतिवेदन डीएससीपीएस द्वारा सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया था जैसा कि आईसीपीएस दिशानिर्देशों के तहत अपेक्षित था। नियमित निगरानी और निरीक्षण के अभाव में आईसीपीएस के प्रभावी कार्यान्वयन से समझौता किया गया।

5.1 डीएससीपीएस द्वारा भारत सरकार को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए गए

आईसीपीएस दिशानिर्देशों के अध्याय 4 के अनुसार, डीएससीपीएस को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी), भारत सरकार (भा.स.) को तिमाही प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था (अप्रैल 2015) कि एमओडब्ल्यूसीडी को सभी राज्यों को ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से तिमाही प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि डीएससीपीएस ने सितंबर 2017 से न तो प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया और न ही एमओडब्ल्यूसीडी को प्रस्तुत किया। यह आईसीपीएस के कार्यान्वयन में उचित निगरानी और पर्यवेक्षण की कमी को दर्शाता है।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि एमओडब्ल्यूसीडी को त्रैमासिक निगरानी प्रतिवेदन नियमित रूप से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था जो उन्नयन के अधीन है और इस संबंध में स्थिति अभी भी भारत सरकार से प्रतीक्षित है। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से पता चला कि ऐसा कोई प्रगति प्रतिवेदन एमओडब्ल्यूसीडी को प्रस्तुत नहीं किया गया था। उनके जवाब के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

5.2 ज़िला बाल संरक्षण इकाइयाँ द्वारा निगरानी की कमी

आईसीपीएस ज़िला स्तर पर आईसीपीएस के कार्यान्वयन के लिए मूलभूत इकाइयों के रूप में डीसीपीयू की स्थापना निर्धारित करता है। डीसीपीयू को अपने संबंधित ज़िलों में बच्चों की देखभाल करने के संबंध में सभी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी बनाया गया था जैसे कि ज़रूरतमंद बच्चों की पहचान, असुरक्षित स्थिति में बच्चों का ज़िला विशिष्ट डेटा बेस बनाना, बाल संरक्षण कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन, देखभाल की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना सुनिश्चित करना, स्वैच्छिक संगठनों की पहचान और सहयोग आदि। वास्तव में, जहाँ सीडब्ल्यूसी अपने सामने प्रस्तुत किए गए बच्चों के प्रत्येक मामले में कार्रवाई के बारे में निर्णय लेने का अधिकार रखती है, वहीं डीसीपीयू जमीनी स्तर पर बच्चों की देखाभाल और संरक्षण की व्यवस्था करता है।

उनके गठन के बाद भी, डीसीपीयू के कामकाज में वांछित होने के लिए बहुत कुछ बचा था क्योंकि लेखापरीक्षा ने आईसीपीएस के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि ज़रूरतमंद बच्चों की पहचान, हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित करना आदि में कमियां देखीं, जैसा कि बाद के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

5.2.1 हितधारकों के साथ तिमाही बैठकें आयोजित नहीं की गईं

आईसीपीएस दिशानिर्देशों में उपबंध है कि डीसीपीयू को ज़िला स्तर पर सभी हितधारकों के साथ त्रैमासिक बैठकें आयोजित करनी है जिसमें बाल संरक्षण गतिविधियों की प्रगति और उपलब्धि की समीक्षा करने के लिए गृह अधीक्षक, गैर सरकारी संगठन आदि और स्वास्थ्य, श्रम और पुलिस विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। डीसीपीयू का यह कर्तव्य है कि वे संबंधित हितधारकों को बैठकों के कार्यवृत्त प्रसारित करें।

चार नमूना-जांच किए गए डीसीपीयू में से, दो[15] डीसीपीयू ने कोई बैठक आयोजित नहीं की थी जबकि डीसीपीयू-VI, उत्तर और डीसीपीयू-I, केन्द्रीय ने 2018-21 के दौरान निर्धारित 12 बैठकों के प्रति तीन और एक बैठक आयोजित की थी। इसके अलावा, इन त्रैमासिक बैठकों में स्वास्थ्य, श्रम या पुलिस विभागों का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ और बैठक के कार्यवृत्त किसी भी विभाग/इकाई आदि को परिचालित नहीं किए गए थे। डीसीपीयू-I ने कहा कि अधिक कार्य-भार के कारण, कार्यवृत्त परिचालित नहीं किए गए थे।

डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि पश्चिम और दक्षिण पश्चिम ज़िलों में बैठक के लिए नोटिस दिसंबर 2021 में जारी किया जा चुका है। इसके अलावा,

[15] डीसीपीयु-II (उत्तर पूर्व एवं शाहदरा) और डीसीपीयु-III (लाजपत नगर)

डीसीपीयू अब ज़िलाधिकारियों (डीएम) की देखरेख में कार्य करता है और डीएम से हितधारकों के साथ समीक्षा/बैठक आयोजित करने की अपेक्षा की जाती है। जवाब इंगित करता है कि बैठकें आवश्यकतानुसार आयोजित नहीं की जा रही थीं।

हितधारकों के साथ नियमित बातचीत उनके सामने आने वाली विभिन्न कठिनाइयों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थी कि योजना के तहत परिकल्पित सभी सेवाएं ज़रूरतमंद बच्चों को प्रदान की जाती हैं। नियमित बैठकों और लिए गए निर्णयों पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव में, डीसीपीयू योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं था।

5.2.2 सीसीआई का निरीक्षण नहीं किया गया

आईसीपीएस दिशानिर्देशों के अनुसार, डीसीपीयू सभी संस्थानों/एजेंसियों/परियोजनाओं/कार्यक्रमों/एनजीओ की निगरानी और पर्यवेक्षण सहित ज़िला स्तर पर आईसीपीएस के कार्यान्वयन का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा तथा राज्य स्तर पर एससीपीएस को सूचित करेगा।

डीसीपीयू-II (उत्तर-पूर्व और शाहदरा) द्वारा सीसीआई के निरीक्षण प्रतिवेदनों की नमूना जांच में सामान्य कमियों का पता चला जैसे कि शौचालय का फ्लश काम नहीं करना, वॉशरूम और शौचालयों की लंबित मरम्मत, छात्रावास में रिसाव आदि। इसी तरह, डीसीपीयू-I द्वारा निरीक्षण किए गए सीसीआई (केन्द्रीय) में भी कुछ सामान्य कमियाँ थीं जैसे परामर्श कक्षों की अनुपलब्धता, बिस्तरों की कमी, अंशकालिक डॉक्टरों की अनुपलब्धता, बीमार रोगी के कमरों की अनुपलब्धता आदि। डीसीपीयू को इन कमियों के अनुपालन हेतु कार्य करना आवश्यक था, लेकिन अनुपालन प्रतिवेदन निरीक्षण प्रतिवेदन अभिलेखों में नहीं पाये गये। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि डीसीपीयू ने, यहाँ तक कि जब उन्होंने सीसीआई का दौरा किया, निरीक्षण के दौरान इंगित किए गए मुद्दों के अनुपालन की जांच करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की।

इस संबंध में विभाग की ओर से कोई विशेष जवाब नहीं दिया गया।

इसके अलावा, आईसीपीएस दिशानिर्देशों के पैरा 2.1 (xv) के अनुसार, डीसीपीयू को पर्यवेक्षण के लिए सभी संस्थानों/एजेंसियों का दौरा करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। डीसीपीयू द्वारा चार नमूना-जांच किए गए सीसीआई में किए गए निरीक्षणों की स्थिति **तालिका 5.1** में दी गई है।

तालिका 5.1: डीसीपीयू द्वारा किए गए निरीक्षणों की सं.

डीसीपीयू	के अधिकार क्षेत्र में सीसीआई की सं.	किए गए निरीक्षणों की सं.		
		2018-19	2019-20	2020-21
उत्तर	08	05	00	06
दक्षिण	20	36	54	36
केंद्रीय	08	01	01	05
उत्तर-पूर्व और शाहदरा	03	03	00	03

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि डीसीपीयू उत्तर और मध्य ने वर्ष में एक बार भी अपने अधीन सभी सीसीआई का निरीक्षण नहीं किया। डीसीपीयू, उत्तर-पूर्व और शाहदरा ने 2019-20 में कोई निरीक्षण नहीं किया। डीसीपीयू, केंद्रीय द्वारा निरीक्षण में विशेष रूप से कमी थी। यह डीसीपीयू द्वारा सीसीआई की खराब निगरानी को दर्शाता है।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि सीसीआई का निरीक्षण नियमित आधार पर किया जाता है और डीसीपीओ की अध्यक्षता में प्रबंधन समितियों की बैठकें मासिक आधार पर संस्थानों के प्रबंधन और प्रत्येक बच्चे की प्रगति की निगरानी के लिए आयोजित की जाती हैं। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि चयनित डीसीपीयू द्वारा सीसीआई का निरीक्षण नहीं किया जा रहा था।

5.2.3 अखिल भारतीय वेब पोर्टल पर बच्चों की पहचान संकेतक सुनिश्चित नहीं किया गया

महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने लापता बच्चों को ट्रैक करने और पुनर्वास हेतु उनके अंतिम प्रत्यावर्तन के लिए 'ट्रैक चाइल्ड' वेब पोर्टल की स्थापना की थी। केंद्रीकृत समन्वय को सक्षम करने के लिए इस पोर्टल पर आईसीपीएस पदाधिकारियों द्वारा बच्चों के बारे में जानकारी दर्ज की जानी है। जैसा कि डीडब्ल्यूसीडी द्वारा सितंबर 2019 में जारी आदेश में उल्लेख किया गया है, डीसीपीयू वेब पोर्टल की निगरानी के लिए उत्तरदायी है और सीडब्ल्यूसी एवं सीसीआई को समय-समय पर पोर्टल पर बच्चों के विवरण को पंजीकृत/अपलोड/अपडेट करने में सुविधा प्रदान करता है।

यह देखा गया कि चार नमूना-जांच किए गए डीसीपीयू के अंतर्गत् 44 सीसीआई में से केवल 17 ही वेब पोर्टल पर विवरण अपलोड कर रहे थे जैसा कि **तालिका 5.2** में दिया गया है।

तालिका 5.2: वेब पोर्टल पर बच्चों की जानकारी अपलोड करने वाले सीसीआई की सं.

जांच की गई डीसीपीयू	सीसीआई की संख्या	वेब पोर्टल पर विवरण अपलोड करने वाले सीसीआई की सं.
उत्तर	8	1 (शेष सीसीआई के लिए डाटा अन्य ज़िला पोर्टल पर है)
दक्षिण	20	14
केंद्रीय	8	0
उत्तर-पूर्व और शाहदरा	8	2
कुल	**44**	**17**

इसके अलावा, चार नमूना-जांच किए गए सीडब्ल्यूसी में से किसी ने भी 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान सीडब्ल्यूसी द्वारा सीसीआई को भेजे गए बच्चों[16] की जानकारी अपलोड नहीं की। दो सीडब्ल्यूसी के पास पोर्टल तक पहुंचने के लिए एक सक्रिय पासवर्ड भी उपलब्ध नहीं था।

नमूना-जांच किए गए बाल गृहों, ओपन शेल्टर और विशिष्ट एजेंसियों के संबंध में प्रवेश और पोर्टल पर बच्चों के विवरण अपलोड करने की स्थिति **तालिका 5.3** में दी गई है।

तालिका 5.3: वेब पोर्टल पर बच्चों के विवरण अपलोड करने की स्थिति

क्र.सं.	नाम	कमी देखी गई
	बाल गृह	
1.	सीएचबी-I, अलीपुर	अपलोड किए गए 616 बच्चों में से 16 का विवरण।
2.	सीएचबी-II, अलीपुर	अपलोड किए गए 133 में से 41 बच्चों का विवरण।
3.	सीएचजी-I, निर्मल छाया	बच्चों का विवरण अपलोड नहीं किया गया।
4.	सीएचजी-II, निर्मल छाया	लेखापरीक्षा को जानकारी नहीं दी गई
5.	सीएचजी-IV, निर्मल छाया	लेखापरीक्षा को जानकारी नहीं दी गई
6.	वीसीएच-I, लाजपत नगर	लेखापरीक्षा को जानकारी नहीं दी गई
7.	प्रयास सीएचबी, जहांगीर पुरी	अपलोड किए गए 455 बच्चों में से 50 का विवरण
8.	सीएचबी, डीएमआरसी तीस हजारी	अपलोड किए गए 523 बच्चों में से 230 का विवरण
9.	एसबीटी आसरा सीएचबी नजफगढ़	पोर्टल पर की गई बच्चों की फोटो
	ओपन शेल्टर	
10.	अपना घर एसबीटी	डीसीपीयू द्वारा सीसीआई को आईडी जारी नहीं किया गया
11.	एसपीआईडी श्रद्धानंद मार्ग	डीसीपीयू द्वारा सीसीआई को आईडी जारी नहीं किया गया
	विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां	
12.	एसएए निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स	अपलोड की गई जानकारी
13.	बच्चों के लिए कल्याण गृह, सरिता विहार	अपलोड की गई जानकारी

यद्यपि अधिकांश सीसीआई वहां रहने वाले या उनके समक्ष पेश किए गए बच्चों की जानकारी अपलोड नहीं कर रहे थे, इस संबंध में संबंधित डीसीपीयू द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। डीसीपीयू ने दो ओपन शेल्टर को वेब पोर्टल तक पहुंच प्रदान नहीं की।

[16] सीडब्ल्यूसी द्वारा 5769 बच्चे सीसीआई को भेजे गए थे।

यह लापता बच्चों को ट्रैक करने, उनकी बरामदगी और पुनर्वास की सरकार की क्षमता से समझौता किया, जिससे प्रभावित बच्चों और उनके माता-पिता की व्यथा बढ़ गई।

डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि राष्ट्रीय वेब पोर्टल "ट्रैक चाइल्ड" 2000 से पुराने अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित है और इसलिए डीसीपीयू को जानकारी अपलोड करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा बनाए गए एक अन्य पोर्टल बाल स्वराज पर डीसीपीयू नियमित रूप से बच्चों के वांछित ब्यौरे और विवरण अपलोड कर रहे हैं। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीडब्ल्यूसीडी को आईसीपीएस दिशानिर्देशों और किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के प्रावधानों के तहत वेब पोर्टल "ट्रैक चाइल्ड" पर बच्चों के विवरण अपलोड करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, डीडब्ल्यूसीडी ने बच्चों के विवरण को एनसीपीसीआर पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए।

अनुशंसा सं. 9: केंद्रीकृत समन्वय के लिए ट्रैक चाइल्ड पोर्टल में समयबद्ध तरीके से पूरा डेटा अपलोड किया जाए।

5.3 सीडब्ल्यूसी की समीक्षा नहीं की गई

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 27 (8) के अनुसार, ज़िला मजिस्ट्रेट (डीएम) सीडब्ल्यूसी के कामकाज की त्रैमासिक समीक्षा करेंगे। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2018 से 2021 के दौरान चार सीडब्ल्यूसी के लिए आवश्यक 48 त्रैमासिक समीक्षा के प्रति, केवल एक तिमाही समीक्षा की गई थी (सीडब्ल्यूसी-II, लाजपत नगर)। ज़िला मजिस्ट्रेटों (डीएम) द्वारा तिमाही समीक्षा के अभाव में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार सीडब्ल्यूसी के कामकाज की निगरानी/देखरेख ठीक से नहीं की जा रही थी।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि सीडब्ल्यूसी को संबंधित डीएम को स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

5.4 सीसीआई के अधीक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण का अभाव

आईसीपीएस दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीआई के अधीक्षकों को बच्चों की संपूर्ण देखभाल की निगरानी के लिए या तो संस्थान के भीतर या परिसर में क्वार्टर में रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा, किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 61(2) में कहा गया है कि प्रभारी व्यक्ति परिसर के भीतर ही रहेगा ताकि बच्चों या कर्मचारियों को जब कभी भी आवश्यकता पड़े, आसानी से

उपलब्ध हो सके और जहां आवास उपलब्ध नहीं है वह उस समय तक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के पास के स्थान पर रहेगा, जब तक कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के परिसर में ऐसा आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

नमूना-जांच किए गए नौ बाल गृहों और दो ओपन शेल्टर के क्षेत्रीय दौरे के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि अधीक्षक दो सीसीआई[17] संस्थान के भीतर या परिसर में क्वार्टरों में नहीं रह रहे थे जो अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि संस्थान 24x7 चलते हैं और सीसीआई के कामकाज के प्रबंधन के लिए हर समय पर्यवेक्षी स्तर के एक अधिकारी को अनिवार्य रूप से तैनात किया जाता है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि अधीक्षक चयनित सीसीआई में नहीं रह रहे थे और पर्यवेक्षी स्तर के अधिकारियों की तैनाती के संबंध में लेखापरीक्षा को कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके अलावा, यह पाया गया कि एक सीसीआई के प्रभारी व्यक्ति को अन्य सीसीआई का प्रभार भी दिया गया था जैसा कि इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 के पैरा 3.2.1 में टिप्पणी की गई है।

ज़िला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल देखभाल संस्थाओं के नियमित निगरानी एवं निरीक्षण के अभाव में एकीकृत बाल संरक्षण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से समझौता किया गया।

अनुशंसा सं. 10: ज़िला बाल संरक्षण इकाई को बाल देखभाल संस्थाओं का नियमित निगरानी एवं निरीक्षण करना चाहिए।

[17] बच्चों के लिए प्रयास बाल गृह, जहाँगीरपुरी और एसपीआईडी, श्रद्धानन्द मार्ग

अध्याय 6

बच्चों का पुनर्वास

विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) द्वारा बच्चों को गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करने वाले बाल अध्ययन प्रतिवेदन, चिकित्सा परीक्षण प्रतिवेदन और प्रमाण-पत्र अपलोड करने में विलम्ब हुआ था। इसके अलावा, अदालतों के समक्ष दत्तक ग्रहण याचिका दायर करने में और संभावित दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन प्रतिवेदन अपलोड करने में महीनों का विलंब हुआ था। बच्चों को गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करने में विलम्ब से उनके गोद लेने की संभावना कम हो गई। अधिकांश मामलों में एसएए द्वारा दत्तक-ग्रहण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी जिसके कारण इस बात का आश्वासन नहीं था कि गोद लिए गए बच्चों की देखभाल की जा रही है। सरकार ने 'प्रायोजन' और 'पालक देखभाल' योजनाओं को भी लागू नहीं किया जिसके कारण परिवार के वातावरण में बच्चों की वृद्धि और विकास हासिल नहीं किया जा सका, खासकर उन मामलों में जहां परिवार/रिश्तेदार और अन्य व्यक्ति बच्चों की मदद करने के इच्छुक थे लेकिन आर्थिक तंगी के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।

एक बच्चे के लिए सबसे अधिक वांछनीय स्थिति अपने माता-पिता के साथ रहने में होती है जहां बच्चा उनकी देखभाल में सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए, सरकार के लिए यह जरूरी है कि बच्चे को उसके परिवार के साथ रखने के लिए हर संभव प्रयास करे और केवल उन परिस्थितियों में जहां यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में नहीं है या संभव नहीं है, अन्य विकल्प जैसे कि उन्हें सीसीआई में रखने या गोद लेने आदि पर विचार किया जाना चाहिए।

बच्चों का पुनर्वास संस्थागत देखभाल और परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखभाल यानी दत्तक ग्रहण, पालन-पोषण और प्रायोजन के माध्यम से किया जाता है। इनमें से, अनाथ और परित्यक्त/समर्पण किए गए बच्चों के लिए सबसे अच्छा परिदृश्य उनका दत्तक ग्रहण करना होगा, क्योंकि गोद लेने से बच्चा कानूनी रूप से सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और ज़िम्मेदारीयों के साथ माता-पिता का एक नया समूह प्राप्त करता है, जो इस रिश्ते से जुड़े होते हैं। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 56 उपबंध करता है कि अनाथों और परित्यक्त एवं आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों के लिए परिवार का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए गोद लेने का सहारा लिया जाएगा।

आईसीपीएस दिशानिर्देश प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएआरए) के गठन हेतु, गोद लेने के कार्य का समन्वय, निगरानी

और विकास करने, ज़िला स्तर पर डीसीपीयू के साथ संपर्क करने और गोद लेने के लिए सीडब्ल्यूसी को तकनीकी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है।

विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएए) सीडब्ल्यूसी के आदेश द्वारा वहां रखे गए अनाथों, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को गोद लेने के उद्देश्य से एक चाइल्ड कैअर संस्थान है। गोद लेने की प्रक्रिया **चित्र 6.1** में दी गई है।

चित्र 6.1: गोद लेने की प्रक्रिया

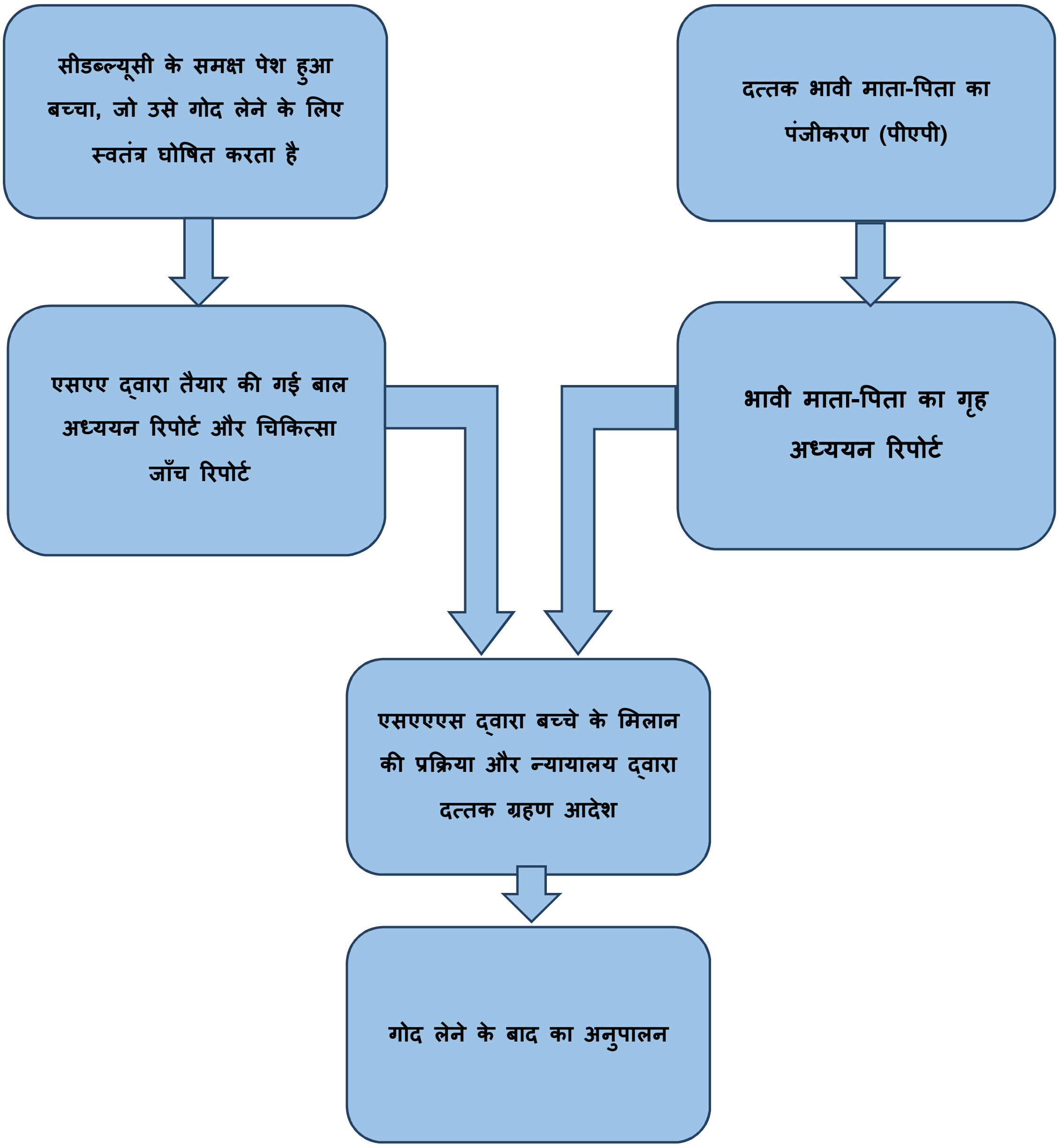

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या अधिक संस्थानों या संगठनों को एसएए के रूप में मान्यता देगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि 10 ज़िलों में से दो[18] में किसी भी एसएए को मान्यता नहीं

[18] पूर्वी जिला और उत्तर-पूर्वी जिला।

दी गई थी। इस प्रकार, इन दो ज़िलों में अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को गोद लेने की सुविधा के लिए कोई समर्पित तंत्र नहीं था।

शेष आठ ज़िलों में, कुल 9 एसएए थे, जिनमें से एक[19] सरकार द्वारा चलाया जाता है, तीन[20] सरकार द्वारा सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों द्वारा, और शेष पांच गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्वयं चलाए जाते हैं। सरकार द्वारा सीधे या सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाए जा रहे चार एसएए में से, लेखापरीक्षा ने दो एसएए के अभिलेखों की जांच की और संयुक्त भौतिक सत्यापन किया।

जैसा कि सीडब्ल्यूसी द्वारा बच्चों को गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करने में विलम्ब से संबंधित पैराग्राफ में पहले ही उल्लेख किया गया है, इस प्रक्रिया में विलम्ब से बच्चों के गोद लेने की संभावना कम होने के अलावा सीसीआई में बच्चों के रहने की अवधि बढ़ जाती है। इसलिए, बच्चों को सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान करने के लिए, सरकार को गोद लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है ताकि प्रक्रिया में विलम्ब से बचा जा सके। हालांकि, जाँच किए गए दो एसएए के अभिलेखों से, लेखापरीक्षा ने विभिन्न चरणों में विलम्ब देखा, जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णित है:

6.1 बच्चे को गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करने वाले सीडब्ल्यूसी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र को अपलोड करने में देरी

दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 29 (1) (डी) में कहा गया है कि एसएए बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली *(केयरिंग्स)* में बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने वाली बाल कल्याण समिति द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र की प्राप्ति से 48 घंटे के भीतर अपलोड करेगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि एसएए, पालक देखभाल एवं दत्तक ग्रहण सेवा केंद्र, निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स ने 14 में से 6 बच्चों के संबंध में बच्चों को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने वाले प्रमाण-पत्र 14 से 88 दिनों के विलम्ब के बाद और दो मामलों में 496 और 625 दिनों की देरी के बाद अपलोड किया।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि सीडब्ल्यूसी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र को अपलोड करने में विलम्ब अनाथ, परित्यक्त और लापता बच्चों आदि के विज्ञापनों के प्रकाशन में विलम्ब के कारण है। जवाब स्वीकार्य

[19] फोस्टर केयर एंड एडॉप्शन सर्विस सेंटर (एसएए) जेल रोड, नई दिल्ली।

[20] मातृ छाया, पहाड़गंज; बच्चों के लिए कल्याण गृह, सरिता विहार; और आश्रय अनाथालय, पीरागढ़ी।

नहीं है क्योंकि ये गतिविधियां सीडब्ल्यूसी द्वारा बच्चे को गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करने का प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले की जाती हैं।

6.2 बाल अध्ययन प्रतिवेदन और चिकित्सा जांच प्रतिवेदन अपलोड करने में विलम्ब

दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 7 (18) में प्रावधान है कि आत्मसमर्पण करने वाले बच्चे की बाल अध्ययन प्रतिवेदन (सीएसआर) और चिकित्सा जाँच प्रतिवेदन (एमईआर) सीडब्लयूसी द्वारा बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने की तिथि से दस दिनों के भीतर *केयरिंग्स* में एसएए द्वारा तैयार और पोस्ट की जाएगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि पांच बच्चों के सीएसआर और एमईआर 23 से 195 दिनों की विलम्ब के बाद अपलोड किए गए और दो मामलों में 396 और 813 दिनों के बाद तथा 10 बच्चों के लिए अपलोड ही नहीं किया गया था।

अपने जवाब में डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि सीएसआर और एमईआर, एसएए अधिकारियों द्वारा डॉक्टर सहित विभिन्न अन्य अधिकारियों के परामर्श से तैयार किया जाता है, जिसमें समय लगता है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों में डीडब्ल्यूसीडी द्वारा कोई विशिष्ट जवाब नहीं दिया गया। तथ्य यह है कि प्रतिवेदन अपलोड करने में विलम्ब हुआ और ऐसे मामले भी थे जहां इन्हें बिल्कुल भी अपलोड नहीं किया गया था। इसके अलावा, विनियमों में 10 दिनों का निर्दिष्ट समय नियमित कारकों को ध्यान में रखते हुए रखा गया होगा।

6.3 भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन प्रतिवेदन अपलोड करने में विलम्ब

दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 9 (10) में प्रावधान है कि संभावित दत्तक माता-पिता (पीएपी) की गृह अध्ययन प्रतिवेदन (एचएसआर) को *केयरिंग्स* में दस्तावेज जमा करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि 12 मामलों में, 20 पीएपी (96 में से) का संचालन एचएसआर एसएए, सरिता विहार द्वारा 29 से 99 दिनों के विलम्ब से और आठ मामलों में 100 से 196 दिनों का विलम्ब हुआ। इसी प्रकार, 27 मामलों में, 40 पीएपी (79 में से) का एचएसआर निर्मल छाया द्वारा 16 से 87 दिनों का विलम्ब और 13 मामलों में 115 से 202 दिनों का विलम्ब हुआ। केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पीएपी से शुल्क भी वसूल नहीं किया गया जिससे सरकारी खजाने को ₹ 4.74 लाख की हानि हुई।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि महामारी के कारण और यहां तक कि वर्तमान में भी, पीएपी अपने निवास स्थान पर भौतिक दौरे के लिए तैयार नहीं हैं, या जांच के समय खुद को उपलब्ध नहीं कराते हैं। आगे यह भी कहा गया कि *केयरिंग्स* पोर्टल पर एचएसआर को अंतिम रूप से अपलोड करने से पहले वर्चुअल सत्यापन दो या तीन बार किया जाना है। निर्मल छाया में एसएए एक सरकार द्वारा संचालित संस्थान है, जिसमें पीएपी से एचएसआर शुल्क नहीं लिया जाता है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रतिवेदन अपलोड करने में विलम्ब, महामारी से पहले की अवधि से संबंधित है। इसके अलावा, किशोर न्याय अधिनियम और दत्तक विनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी पीएपी से शुल्क वसूल किया जाना है।

6.4 न्यायालय के समक्ष दत्तक ग्रहण याचिका दाखिल करने में विलम्ब

दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 12(1) में प्रावधान है कि दत्तक माता-पिता द्वारा बच्चे की स्वीकृति की तारीख से 10 कार्य दिवस के भीतर एसएए न्यायालय के समक्ष दत्तक ग्रहण याचिका दायर करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना जांच किए गए 24 मामलों (58 प्रतिशत) में से 14 में, एसएए, सरिता विहार ने 32 से 92 दिनों के विलम्ब से न्यायालय के समक्ष दत्तक-ग्रहण याचिकाएं दाखिल कीं। एसएए निर्मल छाया के संबंध में, 14 बच्चों में से तीन[21] बच्चों को पीएपी द्वारा आरक्षित किया गया था, हालांकि, एसएसए ने इन बच्चों के संबंध में पीएपी द्वारा स्वीकार किए जाने के बावजूद दत्तक ग्रहण याचिका दायर नहीं की थी, इनमें से सबसे पुराना मामला नवंबर 2019 का है।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि हालांकि दस्तावेज तैयार थे, पर संबंधित दत्तक ग्रहण न्यायालय में आवेदन दायर नहीं किया जा सका क्योंकि कोविड -19 लॉकडाउन के कारण संबंधित अवधि के दौरान न्यायालयों के कामकाज को निलंबित कर दिया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नौ मामले कोविड-19 लॉकडाउन से पहले की अवधि (सितंबर 2017 और नवंबर 2019 के बीच) से संबंधित हैं।

अनुशंसा सं. 11: विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां, संभावित माता-पिता की अध्ययन प्रतिवेदन और गोद लेने के लिए बच्चों के विवरण सहित आवश्यक जानकारी समय पर प्रासंगिक वेब पोर्टल में अपलोड करें और बिना किसी विलम्ब

[21] स्वीकृति की तिथियाँ हैं 22.11.2019, 27.08.2020 और 27.01.2021

के न्यायालय के समक्ष गोद लेने की याचिका दायर करें। विलम्ब के लिए ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

6.5 दत्तक-पश्चात अनुवर्ती प्रतिवेदन तैयार करने में विलम्ब

दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 13(1) में प्रावधान है कि एसएए जिसने गृह अध्ययन प्रतिवेदन तैयार की है, दत्तक-पूर्व पालक नियोजन की तारीख से दो वर्ष के लिए छः मासिक आधार पर दत्तक-ग्रहण पश्चात अनुवर्ती प्रतिवेदन तैयार करेगा। भावी दत्तक माता-पिता, और बच्चे की तस्वीरों के साथ इसे *केयरिंग्स* में अपलोड करें। इसके अलावा, विनियम 29(6)(सी) (vii) में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक एसएए प्रत्येक बच्चे की केस फाइल में पोस्ट-प्लेसमेंट प्रगति प्रतिवेदन रखेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एसएए, निर्मल छाया द्वारा जनवरी 2013 और जुलाई 2021 के बीच 59 बच्चों के लिए 150 अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने थे, तथापि, 44 बच्चों के संबंध में कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी। शेष 15 बच्चों के संबंध में 57 छमाही दत्तक पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई में से केवल 19 अनुवर्ती कार्रवाई किए गए। इसके अतिरिक्त, अनुवर्ती प्रतिवेदनों को भी संबंधित मामले की फाइलों में नहीं रखा गया था। अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव में, एसएसए निश्चित नहीं कर सका कि क्या बच्चों की पर्याप्त देखभाल की जा रही है और दत्तक माता-पिता द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा था।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि कोविड-19 लॉकडाउन और प्रतिबंधित आवागमन के कारण, अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भौतिक दौरा नहीं किया जा सका, हालांकि, टेलीफोनिक संपर्क के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिसंबर 2019 से पहले की अवधि से संबंधित 44 मामलों में भी पोस्ट एडॉप्शन फॉलो-अप आयोजित नहीं किया गया था।

6.6 बच्चों को दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने में विलम्ब

दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 का नियम 6 में बच्चों को गोद लेने से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान है यह पता लगाने के लिए कि क्या बच्चा परिव्यक्त, अनाथ या लापता है और जैविक माता-पिता या कानूनी अभिभावकों आदि की न मिलने की स्थिति के संबंध में स्थानीय पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देना शामिल है। दत्तक ग्रहण विनियम, 2017, यह भी प्रदान करता है कि सीडब्ल्यूसी को एक परित्यक्त या अनाथ बच्चे को क्रमशः

दो या दो वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के मामले में सीडब्ल्यूसी के समक्ष बच्चे को पेश किए जाने की तारीख से दो या चार महीने की समाप्ति के बाद गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान, 36[22] बच्चों को तीन से 64 महीने के विलम्ब के बाद गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया था। बच्चों को गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करने में विलम्ब होने से उन्हें सीसीआई में लंबे समय तक रहने के अलावा माता-पिता की देखभाल वाले परिवार का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा, बच्चे को गोद लेने की संभावना, उम्र बढ़ने के साथ कम इसलिए अनिवार्य है कि बच्चे को सीडब्ल्यूसी द्वारा स्वतंत्र घोषित करने में विलम्ब न हो।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि गोद लेने के उद्देश्य से एक बच्चे को कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया के लिए विभिन्न हितधारकों अर्थात् केस हिस्ट्री और सामाजिक जांच के लिए ज़िला बाल संरक्षण इकाई, आयु निर्धारण के लिए चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड से अनुपालन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण विलम्ब होती है। आगे कहा गया कि इस प्रक्रिया को अब सुव्यवस्थित कर दिया गया है और बच्चों को समय पर कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किया जा रहा है।

6.7 'प्रायोजन' और 'पालक देखभाल' के लिए योजनाएं

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 24 के अनुसार, राज्य सरकार एक प्रायोजन कार्यक्रम तैयार करेगी। "प्रायोजन" का अर्थ है बच्चे की चिकित्सा, शैक्षिक और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवारों को पूरक सहायता, वित्तीय या अन्य प्रावधान। प्रायोजन कार्यक्रम डीसीपीयू द्वारा कार्यान्वित किया जाना था जिसके तहत बच्चों को प्रायोजित करने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों या संगठनों का एक पैनल प्रदान करना था। यह योजना रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अभी लागू नहीं की गई।

इसके अलावा, किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 23 के अनुसार, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को पालक देखभाल में रखा जा सकता है, और डीसीपीयू एक जिले में पालक देखभाल कार्यक्रम को लागू करने के लिए नोडल प्राधिकरण होगा। "पालक देखभाल" का अर्थ है बच्चे के जैविक परिवार के अलावा, परिवार के घरेलू वातावरण में वैकल्पिक देखभाल के उद्देश्य से समिति द्वारा बच्चे का रखरखाव। लेखापरीक्षा ने देखा कि डीडब्ल्यूसीडी ने पालक देखभाल योजना को भी लागू नहीं किया।

[22] सीडब्ल्यूसी-II, लाजपत नगर (15) और सीडब्ल्यूसी-V, दिलशाद गार्डन (21)

इन योजनाओं को लागू नहीं करने के कारण, पारिवारिक वातावरण में बच्चे की वृद्धि और विकास नहीं हो सका, विशेषकर ऐसे मामलों में जहां परिवार/रिश्तेदार और अन्य व्यक्ति बच्चों की मदद करने के इच्छुक थे, लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण ऐसा करने में असमर्थ रहे। इन योजनाओं को लागू करने से, पुनर्वास उपायों के माध्यम से, सीसीआई संस्थान से बच्चों को बहाल करने में भी आसानी होगी।

अपने जवाब (दिसंबर 2021) में, डीडब्ल्यूसीडी ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार किया और कहा कि एसओपी और दिशानिर्देश जून 2021 में जारी किए गए हैं और विज्ञापन के साथ वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं, जिसमें उपयुक्त व्यक्ति/पालक माता-पिता और उपयुक्त सुविधा/समूह की मान्यता के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

अनुशंसा सं. 12: प्रायोजन योजना और पालक देखभाल योजना को प्रभावी, कुशल और समय पर कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। गोद लिए गए बच्चों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई निश्चित समय के अनुसार की जानी चाहिए।

नई दिल्ली | **(अमन दीप चट्ठा)**
दिनांकः 02 फरवरी 2023 | **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली | **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
दिनांकः 14 फरवरी 2023 | **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट I

(अध्याय 1 में संदर्भित-परिचय)

जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) की संरचना

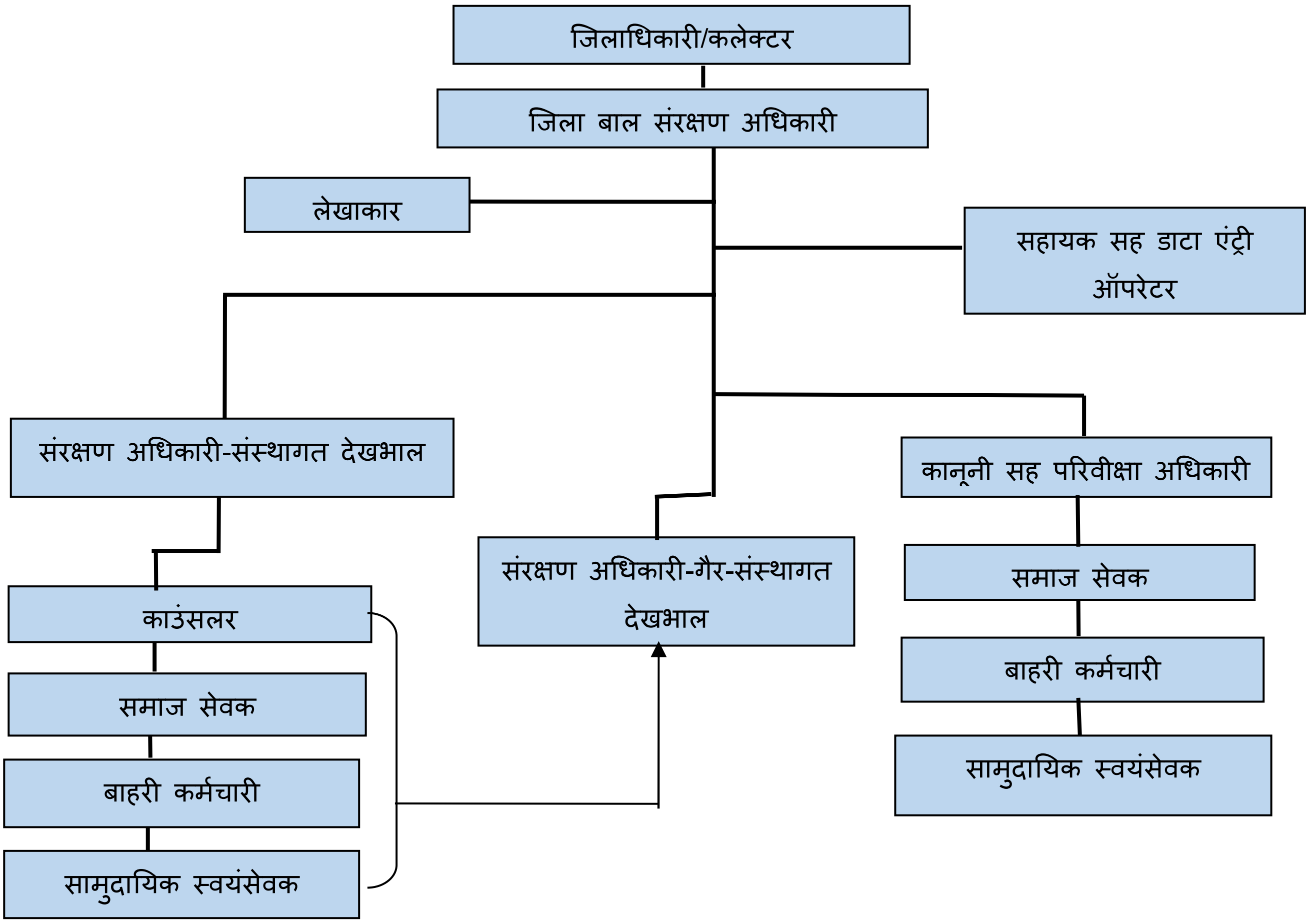

परिशिष्ट II
(अध्याय 1 - परिचय में संदर्भित)
चयनित सीसीआई की सूची

क्र. सं.	नाम	द्वारा संचालित
बाल गृह		
1.	लड़कों के लिए बाल गृह- I, (सीएचबी-I, अलीपुर)	सरकार
2.	लड़कों के लिए बाल गृह-II, (सीएचबी-II, अलीपुर)	सरकार
3.	बालिका के लिए बाल गृह-I (सीएचजी-I, निर्मल छाया परिसर)	सरकार
4.	बालिका के लिए बाल गृह-II (सीएचजी-द्वितीय, निर्मल छाया परिसर)	सरकार
5.	बालिका के लिए बाल गृह-IV (सीएचजी-IV, निर्मल छाया परिसर)	सरकार
6.	ग्राम कुटीर गृह-I (वीसीएच-I, लाजपत नगर)	सरकार
7.	लड़कों के लिए प्रयास चिल्ड्रेन होम (प्रयास सीएचबी, जहांगीरपुरी)	गैर सरकारी संगठन
8.	लड़कों के लिए बाल गृह, डीएमआरसी तीस हजारी (सीएचबी डीएमआरसी तीस हजारी)	गैर सरकारी संगठन
9.	सालम बालक ट्रस्ट आसरा चिल्ड्रेन होम फॉर बॉयज़ (एसबीटी आसरा सीएचबी, नजफगढ़)	गैर सरकारी संगठन
खुले आश्रय		
10.	अपना घर सलाम बालक ट्रस्ट (अपना घर एसबीटी, पहाड़गंज)	गैर सरकारी संगठन
11.	सहभागी एकीकृत विकास के लिए सोसायटी (एसपीआईडी, श्रद्धानंद मार्ग)	गैर सरकारी संगठन
विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां		
12.	फोस्टर केयर एंड एडॉप्शन सर्विस एजेंसी (फोस्टर केयर होम सर्विसेज) (एसएए निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स)	सरकार
13.	बच्चों के लिए कल्याण गृह, सरिता विहार (एसएए, सरिता विहार)	गैर सरकारी संगठन
आफ्टर केयर होम्स		
14.	लड़कों के लिए आफ्टर केयर होम्स, (एसीएच, अलीपुर)	सरकार
15.	आफ्टर केयर होम फॉर गर्ल्स, निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स (एसीएच, निर्मल छाया)	सरकार

परिशिष्ट III
(पैराग्राफ 2.1.1.4 में संदर्भित)
डीसीपीयू का गठन

इकाई का नाम	जिस तिथि तक सेटअप किया जाना है	स्थापना की वास्तविक तिथि	महीनों में विलम्ब
डीसीपीयू-I, केंद्रीय	16-09-2010	31-08-2012	23
डीसीपीयू-II, उत्तर पूर्व		31-08-2012	23
डीसीपीयू-III, दक्षिण		31-08-2012	23
डीसीपीयू-IV, पश्चिम		31-08-2012	23
डीसीपीयू-V, उत्तर		01-07-2017	81
डीसीपीयू-VI, उत्तर पश्चिम		01-07-2017	81
डीसीपीयू-VII, पूर्व		01-07-2017	81
डीसीपीयू-VIII, दक्षिण पूर्व		01-07-2017	81
डीसीपीयू-IX, दक्षिण पश्चिम		01-07-2017	81
डीसीपीयू-X, मुख्यालय		01-07-2017	81
डीसीपीयू-XI, नई दिल्ली		01-07-2017	81

परिशिष्ट IV
(पैराग्राफ 2.1.1.4 में संदर्भित)
चार चयनित डीसीपीयू में कर्मचारियों की स्थिति

पद का नाम	डीसीपीयू-I, सेवा कुटीर			डीसीपीयू-II, दिलशाद गार्डन			डीसीपीयू-III, लाजपत नगर			डीसीपीयू-VI, अलीपुर		
	स्वीकृत पद	वर्तमान स्थिति	रिक्त पद	स्वीकृत पद	वर्तमान स्थिति	रिक्त पद	स्वीकृत पद	वर्तमान स्थिति	रिक्त पद	स्वीकृत पद	वर्तमान स्थिति	रिक्त पद
डीसीपीओ	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखभाल)	1		1	1	1	0	3		3	1	1	0
संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत देखभाल)	1	1	0	1	1	0	3	1	2	1	1	0
कानूनी परिवीक्षाधीन अधिकारी	1	1	0	1	1	0	3		3	1	1	0
लेखाकार	1		1	1	1	0	1		1	1	1	0
काउंसलर	1		1	1	1	0	1	1	0	1	1	0
समाज सेवक	2	3	-1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
डेटा विश्लेषक	1	1	0	1	0	1	1		1	1	0	1
सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
आउटरीय वर्कर	2	2	0	2	1	1	3	2	1	3	1	2
कोई अन्य पद												
कुल पद	**12**	**10**	**2**	**12**	**9**	**3**	**19**	**7**	**12**	**13**	**9**	**4**

परिशिष्ट V

(पैराग्राफ 2.2.1 में संदर्भित)

केंद्र और राज्य के हिस्से का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अवयव	हिस्से का अनुपात			2018-19				2019-20				2020-21			
		केन्द्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा	एनजीओ का हिस्सा	2018-19 की अवधि के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत	संशोधित मानदंडों के अनुसार केंद्रीय हिस्सा	संशोधित मानदंडों के अनुसार राज्य का हिस्सा	संशोधित मानदंडों के अनुसार गैर सरकारी संगठन का हिस्सा	2019-20 की अवधि के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत	संशोधित मानदंडों के अनुसार केंद्रीय हिस्सा	संशोधित मानदंडों के अनुसार राज्य का हिस्सा	संशोधित मानदंडों के अनुसार गैर सरकारी संगठन का हिस्सा	2020-21 की अवधि के लिए स्वीकृत जीआईए	संशोधित मानदंडों के अनुसार केंद्रीय हिस्सा	संशोधित मानदंडों के अनुसार राज्य का हिस्सा	संशोधित मानदंडों के अनुसार गैर सरकारी संगठन शेयर
i.	एसपीएसयू, एसपीसीएस, एसएआरए और डीसीपीयू के सभी संरचनात्मक घटक	75%	25%	---	516.2	387.15	129.05	शून्य	500.44	375.33	125.11	शून्य	501.96	376.47	125.49	शून्य
ii	जेजे अधिनियम के तहत प्रदान किए गए नियामक निकाय	35%	65%	---	109.68	38.39	71.29	शून्य	139.2	48.72	90.48	शून्य	139.2	48.72	90.48	शून्य
iii	सरकार द्वारा संचालित सभी गृह/विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएए)	75%	25%	---	533.45	400.09	133.36	शून्य	537.58	403.19	134.40	शून्य	502.59	376.94	125.65	शून्य
iv.	गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सभी गृह/एसएए	75%	15%	10%	404.5	303.38	60.68	40.45	543.31	407.48	81.50	54.33	352.74	264.555	52.911	35.27
v.	एनजीओ की भागीदारी से चलाए जा रहे ओपन शेल्टर	90%	---	10%	254.71	229.24	शून्य	25.471	178.20	160.38	शून्य	17.82	168.99	152.091	शून्य	16.90
सहायता अनुदान को हिस्सो की गणना संशोधित आईसीपीएस के अनुसार किया गया है।					1818.54	1358.24	394.38	65.921	1898.73	1395.1	431.48	72.15	1665.48	1218.78	394.53	52.17
स्वीकृत के अनुसार वास्तविक सहायता अनुदान					---	1063.7	688.91	---	---	1104.44	722.14	---	---	964.47	648.83	---
वास्तविक और संशोधित का हिस्सा के बीच अंतर					**---**	**294.53**	**294.53**	**---**	**---**	**290.66**	**290.66**	**---**	**---**	**254.31**	**254.31**	**---**
सहायता अनुदान का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजा गया।					2461.00	1445.34	890.42	125.24	1960.98	1141.79	746.11	73.08	1824.66	1060.00	702.65	62.01

परिशिष्ट VI

(पैराग्राफ 4.2.1 में संदर्भित)

चयनित सीसीआई में कर्मचारियों की कमी

पद का नाम	सरकार द्वारा संचालित सीसीआई										गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सीसीआई									
	सीएचबी-I, (फुलवारी) अलीपुर		सीएचबी-II (आशियाना) अलीपुर		सीएचजी-I, निर्मल छाया		सीएचजी-II, निर्मल छाया		वीसीएच-I, लाजपत नगर		प्रयास एनजीओ, जहांगीरपुरी		डीएमआरसी, एसबीटी तीस हज़ारी		अपना घर ओपन शेल्टर, पहाड़गंज (ओपन शेल्टर)		एसपीआईडी, श्रद्धानंद मार्ग (ओपन शेल्टर)		आसरा, एसबीटी नजफगढ़	
	एसएस	ए एस	एस एस	ए एस	एस एस	ए एस	एसएस	ए एस	एस एस	ए एस	एस एस	ए एस	एस एस	ए एस	एस एस	ए एस	एस एस	ए एस	एस एस	एएस
प्रभारी व्यक्ति (अधीक्षक)	1	1*	1*	1	1	1*	1	1*	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर (एनजीओ)	5	3	2	2	3	2	3	1	3	1	3	2	3	2	3	2	3	2	3	1
काउंसलर/मनोवैज्ञानिक/मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ	0	1	0	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1
घर माता/गृह पिता	3	2	3	2	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	3	4	1	4	2
प्रशिक्षक/शिक्षक	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	1	2	1	2	0	2	1	2	1
चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सक)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	2	1	1
पैरा-मेडिकल स्टाफ/स्टाफ नर्स/नर्सिंग अर्दली	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
स्टोर कीपर सह लेखाकार	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
कला एवं शिल्प और गतिविधि शिक्षक	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
पीटी अनुदेशक-सह-योग प्रशिक्षक	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	2	1	1
रसोईया	2	2	2	2	2	2	2	1	2	0	2	2	2	1	2	0	2	2	2	1
सहायक	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	2	2	2	2	1	2	0	2	1
हाउस कीपर	0	7	0	7	2	2	2	0	2	0	2	2	2	2	2	1	2	0	2	1
चालक	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	2	1	1	1	0	1	1
माली	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
कुल	**20**	**19**	**17**	**18**	**25**	**14**	**25**	**10**	**25**	**6**	**25**	**22**	**25**	**22**	**25**	**13**	**25**	**16**	**25**	**15**
अधिशेष / कमी	-1		+1		-11		-15		-19		-03		-03		-12		-09		-10	

* इन सीसीआई के अधीक्षक अन्य सीसीआई के अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे

परिशिष्ट VII
(पैराग्राफ 4.2.4 में संदर्भित)
वस्त्र और बिस्तर

मद	सीएचबी I अलीपुर	सीएचबी II अलीपुर	सीएचजी I निर्मल छाया	सीएचजी II निर्मल छाया	सीएचजी IV निर्मल छाया	प्रयास एनजीओ	डीएमआरसी एसबीटी एनजीओ	अपना घर ओपन शेल्टर	असरा एसबीटी, नजफगढ़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
गद्दे	कभी प्रदान नहीं किया गया	पर्याप्त प्रदान किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया
कपास दरी	कम प्रदान किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कम प्रदान किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया
सूती चादरें	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया
तकिया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया
तकिये का आवरण	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया
सूती कम्बल/खेस	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया
कपास से भरी रजाई	कभी प्रदान नहीं किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया
मच्छरदानी	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कम प्रदान किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया
तौलिए	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया
शर्ट/सलवार सूट	कम प्रदान किया गया	पर्याप्त प्रदान किया गया	पर्याप्त प्रदान किया गया	पर्याप्त प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	पर्याप्त प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया

मद	सीएचबी I अलीपुर	सीएचबी II अलीपुर	सीएचजी I निर्मल छाया	सीएचजी II निर्मल छाया	सीएचजी IV निर्मल छाया	प्रयास एनजीओ	डीएमआरसी एसबीटी एनजीओ	अपना घर ओपन शेल्टर	असरा एसबीटी, नजफगढ़
पैंट	पर्याप्त प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया
नाइट वियर/कुर्ता पायजामा	कभी प्रदान नहीं किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कम प्रदान किया गया
निकर	कभी प्रदान नहीं किया गया	कम प्रदान किया गया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया
जांघिया	कम प्रदान किया गया	पर्याप्त प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया
चप्पलें	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कम प्रदान किया गया	पर्याप्त प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया
खेल के जूते	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	पर्याप्त प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया
स्कूल के जूते	कम प्रदान किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया				पर्याप्त प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया
रूमाल	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कभी प्रदान नहीं किया गया
मोज़े	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया	कम प्रदान किया गया

* नोट: एक सीसीआई (स्पिड ओपन शेल्टर) ने उपरोक्त डेटा का रखरखाव नहीं किया है।

संक्षिप्त शब्दावली

एसीएच	आफ्टर केयर होम
केयरिंग्स	बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली
सीसीआई	बाल देखभाल संस्थान
सीएनसीपी	देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे
सीपीएसयू	केंद्रीय परियोजना सहायता इकाई
सीएसआर	बाल अध्ययन रिपोर्ट
सीडब्ल्यूसी	बाल कल्याण समिति
डीसीपीओ	ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी
डीसीपीयू	ज़िला बाल संरक्षण इकाई
डीएम	ज़िला अधिकारी
डीएससीपीएस	दिल्ली स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी
डीएसएलएसए	दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण
डीडब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास विभाग
ईसी	कार्यकारी समिति
एफआरएस	फेशियल रिकॉग्नीशन सिस्टम
जीबी	शासी निकाय
जीआईए	सहायता अनुदान
जीएनसीटीडी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
एचएसआर	गृह अध्ययन रिपोर्ट
आईसीपीएस	एकीकृत बाल संरक्षण योजना
जे जे अधिनियम	किशोर न्याय अधिनियम
एमईआर	चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट
एमओडब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनसीपीसीआर	बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग
पीएबी	परियोजना स्वीकृति बोर्ड
पीएपी	भावी दत्तक माता-पिता
एसएए	विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी
एसएआरए	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी
एससीपीएस	राज्य बाल संरक्षण समिति
एसपीएसयू	राज्य परियोजना सहायता इकाई

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
https://cag.gov.in